



# शैक्षिक समाचार राजस्थान



बहनों/भाईयों शिक्षा विभाग में नव नियुक्ति पर बधाई। आगे नियुक्त होने वालों को अग्रिम बधाई।

आपका दो वर्ष प्रोबेशन काल रहेगा। सफलता से प्रोबेशन पूर्ण करने पर स्थाईकरण (नियमितकरण) होगा। इसके बाद पद का पूरा वेतन मिलना शुरू होगा।

दो वर्ष प्रोबेशन में लिए गये अवकाश की जांच कर नियमानुसार सही होने पर ही वेतन नियमितकरण होता है।

वित्त विभाग के नोटिफिकेशन F.15(1)FD/Rules/2017 Jaipur Dated 30 October 2017 Schedule IV (Rule No 16) पेज 63 पर बिन्दू 1 अनुसार प्रोबेशन में निश्चित मानदेय मिलेगा।

नव नियुक्ति से पहले कोई किसी राजकीय सेवा में स्थाई रहा है, वो प्रोबेशन में पूर्व के पद का वेतन या नव नियुक्त पद का निश्चित मानदेय जो उचित लगे ले सकता है। आदेश 30 October 2017 के Schedule IV (Rule No 16) पेज 64 पर बिन्दू 6

प्रोबेशनर ट्रेनी को एक कलैण्डर वर्ष में 15 सीएल मिलेगी। आदेश 30 October 2017 के Schedule IV (Rule No 16) पेज 63 पर बिन्दू 4

कलैण्डर स्कूलों के लिए जुलाई से जून रहेगा। वित्तीय सलाहकार माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा 4 सितम्बर 2019 को आदेश जारी कर स्पष्ट किया गया है कि स्कूलों में प्रोबेशन पर कार्यरत शैक्षिक स्टाफ के लिए सीएल गणना कलैण्डर जुलाई से जून रहेगा। जुलाई के बाद जोड़ने करने वालों को एक महिने की सवा सीएल मिलेगी। प्रतिमाह सीएल का उपभोग नहीं करने पर जमा होती रहेगी। शिविरा कलैण्डर अनुसार 30 जून को जमा सी.एल लैप्स होगी। फिर एक जुलाई से प्रतिमाह सवा सीएल मिलेगी।

बिन्दू 7 (i) अनुसार प्रोबेशन काल में पीएल और एचपीएल (हाफ पे लीव) अर्न (जमा) नहीं होती है। लेकिन प्रोबेशन से पूर्व की सेवा की पीएल और एचपीएल सेवा पुस्तिका में जमा (बकाया) है। वह राजस्थान सरकार शिक्षा (गुप-2) विभाग के शासन उप सचिव के हस्ताक्षर से जारी पत्र प.17(2) शिक्षा-2/2008 जयपुर दिनांक 18-10-12 के तहत खाते में जमा पीएल तथा एचपीएल का उपभोग प्रोबेशन काल में कर सकता है। इससे प्रोबेशन आगे नहीं सरकेगा।

बिन्दू 7 (ii) अनुसार प्रोबेशन काल में महिला को प्रसूति अवकाश देय होगा। प्रसूति अवकाश में पूरा वेतन मिलता है इसलिए प्रोबेशन आगे नहीं सरकेगा।

बिन्दू 7 (iii) प्रोबेशन काल में पुरुष को पितृत्व अवकाश देय होगा। पितृत्व अवकाश में पूरा वेतन मिलता है। इसलिए प्रोबेशन आगे नहीं सरकेगा।

2 वर्ष प्रोबेशन काल में महिला कार्मिक को चाईल्ड केयर लीव सामान्य परिस्थिति में देय नहीं होगी। यदि विशेष परिस्थितियों में स्वीकृत की जाती है तो इससे प्रोबेशन आगे सरकेगा। (नोटिफिकेशन F.1(6)FD/Rules/2011 Jaipur Dated 22 MAY 2018)

प्रोबेशन में 90 असाधारण अवकाश (विदाऊट पे) लिए जा सकते हैं। Schedule IV (Rule No 16) बिन्दू 8 (संशोधित नोटिफिकेशन F.15(1)FD/Rules/2017 Jaipur Dated 25 SEP 2018) लेकिन नोटिफिकेशन F.1 (2)FD/Rules/2006 Pt-I Jaipur Dated 7 AUG 2014 एवं F.1(2)FD/Rules/2006 -I Jaipur Dated 8 AUG 2019 के तहत इसमें से केवल एक माह (30 दिन) तक प्रोबेशन आगे नहीं सरकता है। शेष 60 दिन प्रोबेशन आगे सरकता है। इसी आदेश 08-08-2019 से असाधारण अवकाश में अनेक शर्तें लगाकर एक माह की स्वीकृति नियुक्ति अधिकारी द्वारा और अधिक की प्रशासनिक विभाग द्वारा करने का प्रावधान किया गया है।

नियमानुसार ही अवकाश लेवें ताकि 2 वर्ष बाद स्थाईकरण - वेतन नियमितकरण के समय बाधा नहीं रहे।

सुविधा के लिये शिक्षा विभाग के आदेश संलग्न है। राज्य के वित्त विभाग के आदेश वित्त विभाग की वेबसाईट पर भी उपलब्ध है। इनके प्रिन्ट निकलवाकर स्कूलों और संगठन कार्यालयों में सुरक्षित रखें। सभी को जानकारी दें।

संगठन से स्नेह बनाये रखें।

आपका विश्वासी

(महेन्द्र पाण्डे)  
महामन्त्री

राजस्थान सरकार  
शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : ए. 17(2)शिक्षा-2/2008

जयपुर, दिनांक 14.10.12

निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर।

विषय : दिनांक 20.01.2008 से पूर्व राज्य सेवा में कार्यरत कार्मिक की प्रोबेशनरी ट्रेनी के रूप में नियुक्ति पर प्रोबेशन काल में अवकाश के संबंध में मार्ग-दर्शन प्रदान करने बाबत।

संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक-सिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/पीएच  
/अर्धमासाई/ दिनांक 13.07.2012

महोदय,

उपरोक्त दिवसान्तर्गत संयमित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि दिनांक 20.01.2008 से पूर्व राज्य सेवा में कार्यरत कार्मिक की 'प्रोबेशनरी ट्रेनी' के रूप में नियुक्ति पर प्रोबेशन काल में अवकाश के संबंध में 'वित्त विभाग' द्वारा निम्नानुसार राय/टिप्पणी दी गई है : -

1. 'राजस्थान सेवा नियम, 1951' के नियम-122-ए के प्राधान्यों के अनुसार प्रोबेशनरी ट्रेनी परीक्षा अवधि में अवकाश अर्जित नहीं करेगा। अतः प्रोबेशनरी ट्रेनी, जो पूर्व में राज्य सरकार की नियमित सेवा में थे, वे भी परीक्षा अवधि में अवकाश अर्जित नहीं करेंगे।
2. न्यूनियुक्त प्रोबेशनरी ट्रेनी को पूर्व में राज्य सरकार की नियमित सेवा के दौरान अर्जित एवं शेष अवकाश के उपयोग करने की अनुमति दिये जाने का निर्णय सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी द्वारा लिया जावेगा।
3. पूर्व सेवा में अर्जित अवकाश का उपयोग करने की अनुमति यदि नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है, तो ऐसे अवकाश के कारण परीक्षा अवधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उक्त राय/टिप्पणी वित्त (नियम) विभाग की आई.डी. संख्या-221201396 दिनांक 12.10.2012 के द्वारा प्राप्त कर प्रदान की जा रही है।

भवदीय,

शारदा उपा  
सचिव-प्रथम

# प्रोबेशन में शिक्षकों की CL गणना जुलाई से जून तक

## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

: : संशोधित कार्यालय आदेश : :

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक: शिविरा/माध्य/स्थिरी-अ/34848/2017 दिनांक 22.05.2019 के द्वारा परीवीक्षाकाल में आकस्मिक अवकाश के सम्बन्ध में निम्नानुसार आदेश जारी किये गये थे :-

"राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 (अधिसूचना क्रमांक एफ.5-(1) वित्त/नियम-2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017) के नियम-16 की अनुसूची-IV की टिप्पणी संख्या-4 के अनुसार "Probationer trainee shall be eligible for casual leave of 15 days in a calendar year and for period of less than a calendar year. It shall be admissible in proportion on the basis of completed months." आकस्मिक अवकाश जनवरी से दिसम्बर तक की अवधि को कैलण्डर वर्ष मानकर स्वीकृत करने के निर्देश दिये गये थे । उक्त आदेश को राजस्थान सेवानियम-1951 खण्ड द्वितीय के परिशिष्ट-1 के प्रावधानानुसार संशोधित किया जाकर शैक्षिक विभागो (विश्रामकालीन विभाग) के शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए आकस्मिक अवकाश के लिए कैलण्डर वर्ष 01 जुलाई से 30 जून तक रहेगा ।

विभाग में कार्यरत परीवीक्षाधीन शिक्षको एवं नियमित शिक्षको के लिए वर्ष के सम्बन्ध में राजस्थान सेवानियम-1951 खण्ड द्वितीय के परिशिष्ट.1 के तत्सम्बन्धी प्रावधान समान रूप से लागू है ।

वित्तीय सलाहकार  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/स्थिरी-अ/34848/2017

दिनांक: 04.09.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा ।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा ।
3. समस्त ग्रुप / अनुभाग अधिकारी, कार्यालय हाजा ।
4. वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ ।
5. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।

वित्तीय सलाहकार  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा शिक्षक जानकारी के लिए प्रसारित

**Schedule IV**  
(Rule No. 16)

**AMOUNT OF FIXED REMUNERATION FOR PROBATIONER-TRAINEE**

S.No.	Existing Grade Pay	Existing Grade Pay No.	Existing Amount of Fixed Remuneration	Corresponding Level	Amount of Fixed Remuneration per month with effect from 01.10.2017	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1	1700	2	6670	L-1	12400	
2	1750	3	7000	L-2	12600	
3	1900	4	7400	L-3	12800	
4	2000	5	7790	L-4	13500	
5	2400	9	8910	L-5	14600	
6	2400	9A	8910	L-6	15100	
7	2400	9B	8910	L-7	15700	
8	2800	10	11820	L-8	18500	
9	2800	10A	11820	L-9	20100	
10	3600	11	13200	L-10	23700	
11	4200	12	14660	L-11	26500	
12	4800	14	17230	L-12	31100	
13	5400	15	22180	L-14	39300	
14	6000	16	24030	L-15	42500	
15	6600	17	26670	L-16	47200	
16	6800	18	28120	L-17	49700	
17	7200	19	29840	L-18	52800	
18	7600	20	31620	L-19	56000	
19	8200	21	35180	L-20	62300	
20	8700	22	48710	L-21	86200	
21	8900	23	51350	L-22	90800	
22	9500	23A	54120	L-23	102100	
23	10000	24	57820	L-24	104200	

**Note:-**

1. The Probationer-trainee shall be entitled only to fixed remuneration as above and he/she will not be entitled to Special Pay, Dearness Allowance, House Rent Allowance, City Compensatory Allowance, Non-Practicing Allowance, Non-Clinical Allowance, Mess Allowance, Washing Allowance or any other allowance(s) called by whatever name. Similarly, he/she will not be eligible for grant of Ad-hoc Bonus and uniform/liveries except wearing of uniform is a legal compulsion under the rules.
2. No Travelling Allowance shall be admissible for joining as a probationer-trainee. In case journey on duty, he/she shall be allowed T.A. as on tour and in case of transfer only Mileage Allowance on the basis of fixed remuneration shall be admissible. In case of transfer only the actual period required for travel will be treated as on duty.
3. No deduction towards General Provident Fund and State Insurance shall be made from the fixed remuneration.
4. Probationer-trainee shall be eligible for Casual Leave of 15 days in a calendar year and for period of less than a calendar year, it shall be admissible in proportion on the basis of completed months.
5. No Deputation Allowance shall be admissible to a Probationer-trainee, if, deputed to 'Foreign Service' for training etc.

*D.S.*

6. An existing employee already in regular service shall have an option to opt either for the "Fixed remuneration" or the Pay in the Level in the Pay Matrix (not the Level of his/her new appointment), whichever is beneficial to him/her while he/she is under probation. After successful completion of probation period, Pay shall be fixed as per the rules, where such a Government servant will get due advantage of being in a regular Level earlier, and will get due protection of his/her pay.
7. (i) Probationer-trainee shall earn no leave during the period of probation.  
(ii) Female Probationer-trainee shall be granted Maternity Leave as per Rule 103 and 104 of Rajasthan Service Rules, 1951  
(iii) Male Probationer- trainee shall be granted Paternity Leave as per Rule 103A of Rajasthan Service Rules, 1951
8. Extraordinary Leave upto 30 days may be sanctioned by the appointing authority to a Probationer-trainee during the entire period of Probation Training. Beyond 30 days and not more than one year by the appointment authority after prior approval of Administrative Department.
9. Grant of Medical Attendance Allowance Rs 17400/- (including hard duty allowance etc. if any) during the probation period in addition to fixed remuneration to newly appointed Medical Officer.
10. Mediclaim Insurance coverage for the Probationer-trainee during the period of probation shall be applicable, as applicable to Government servants.
11. Contribution towards New Pension Scheme (NPS) @ 10% of fixed remuneration shall be made by the Probationer-trainee and employer both.



Under no circumstance can any female Government servant proceed on Child Care Leave without prior approval of the leave sanctioning authority.

- (v) Child Care Leave shall not be granted under any circumstances to a female Government servant, who remains on an unauthorised absence from duty and applies for it thereafter.
- (vi) Leave already availed or being availed of by a female Government servant shall, under no circumstances, be converted into Child Care Leave.
- (vii) Child Care Leave shall not be debited against any other kind of leave account. The leave account of Child Care Leave shall be maintained in the form specified by the State Government, from time to time and it shall be pasted in the service book.
- (viii) Leave sanctioning authority can deny the leave applied for on the ground of proper and smooth functioning of Government work or achievement of departmental targets.
- (ix) It shall not be granted for more than three spells in a calendar year. A spell, which begins during a calendar year and ends in the next calendar year, shall be deemed as a spell pertaining to the calendar year in which the spell begins.
- (x) It shall ordinarily not be granted to a Probationer trainee during the probation period. However, in special circumstances if the leave is granted during the probation period then the probation period shall be extended by the period equivalent to the period for which the leave has been granted.
- (xi) The leave is to be treated like the Privilege Leave and sanctioned as such.
- (xii) Sunday and holiday can be prefixed or suffixed to Child Care Leave. Consequently, Sunday, Gazetted holiday(s) or any other holiday(s) notified by the Government falling during the period of leave would also count for Child Care

# प्रोबेशन में एक्सट्रा ऑर्डनरी लीव - स्वीकृति अधिकारी

GOVERNMENT OF RAJASTHAN  
FINANCE DEPARTMENT  
(RULES DIVISION)

## MEMORANDUM

No. F. 1(2)FD/Rules/2006-1

Jaipur, dated : 8 AUG 2019


**Sub:- Regarding successful completion of period of probation by probationer-trainees and grant of pay in the pay scale / running pay band of the post.**

In partial modification of Finance Department Memorandum of even number dated 11.06.2014, powers are delegated for grant of extraordinary leave to probationer trainee in place of existing provisions contained in para 2 and 3 of aforesaid Memorandum as under:-

S. No	Period of Extraordinary Leave	Authority competent to grant EoL
1	Upto one month	Appointing authority
2	Beyond one month in exceptional and unavoidable circumstances	Administrative Department

The powers for grant of extraordinary leave to probationer trainee shall be subject to observation of following guidelines:-

1. Prior sanction of extraordinary leave shall be pre-requisite in all such cases.
2. Those who proceed on extraordinary leave without prior sanction shall be treated as cases of wilful absence and liable to disciplinary action.
3. In case of extraordinary leave applied for critical illness of self, wife/husband, mother, father and children, extraordinary leave can be sanctioned on the basis of certificate of authorized medical attendant.
4. Extraordinary leave shall be granted in exceptional and unavoidable circumstances, related to medical urgency.
5. No extraordinary leave be sanctioned for study purpose and for preparing competitive examination.
6. If anyone remains absent without getting prior sanction for extraordinary leave or in cases where absence is due to higher study / preparing for competitive examination, the period of absence shall be treated as dies non and the same shall not be countable for any purpose.
7. In all cases where extraordinary leave period is exceeding one month, the probation period shall be extended for the entire period of extraordinary leave.

  
(Manju Rajpal)

Secretary to the Government,  
Finance (Budget)

मित्रों सरकार द्वारा प्रोबेशन में एक्सट्रा ऑर्डनरी लीव स्वीकृति के लिए अधिकारी का स्पष्टीकरण जारी करने के साथ ही लीव स्वीकृति की शर्तों को कठोर कर दिया गया है- महेन्द्र पाण्डे महामंत्री राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ।

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## :: कार्यालय आदेश ::

राज्य सरकार के ज्ञापन एफ-1(2) एफडी (रुत्स) 06 पार्ट-1 जयपुर दिनांक 11 जून 2014, 07.08.2014, वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम दिनांक 08.08.2019 एवं दिनांक 25.10.2019 तथा राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति क्रमांक: प. 7(19) शिक्षा-2/2018 जयपुर, दिनांक: 26.10.2020 की अनुपालना में निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में कार्यरत परीक्षाकाल की अवधि में उनके नाम के सामने अंकित अवधि में उपभोग किए गए अवकाशों का असाधारण अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम व पदस्थापन स्थान	विषय	लिय गये अवकाश की अवधि	दिनो की संख्या	अवकाश का प्रकार
1	श्रीमती विनिता जांगिट राउमावि धनोता, शाहपुरा, जयपुर	रसायन विज्ञान	19.08.16 से 29.08.2016 तक 19.09.2016 से 07.10.16 तक 13.10.2016 से 18.10.16 तक 07.10.2016 से 18.11.16 तक 22.11.2016 से 07.11.2.16 तक	(11) (19) (06) (12) (16)	कुल 64 दिनो का 'असाधारण अवकाश'

उक्त कार्मिक के 90 दिवस के असाधारण अवकाश कार्यालय हाजा आदेश दिनांक: 24.01.2018 एवं 18.03.2019(संशोधन), द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। कार्मिक के परिवीक्षाकाल में सम्पूर्ण "असाधारण अवकाश" अवधि 154 दिवस है।

उक्त कार्मिक के सम्पूर्ण "असाधारण अवकाश" अवधि 154 दिवस के घेतन का भुगतान कर दिया गया है तो संबंधित संस्था प्रधान उसकी वसुली कर राजकोष में जमा करवायें एवं उक्त अवकाश अवधि के लेखे का कार्मिक की सेवा-पुरस्कार में इन्द्राज करें। वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र दिनांक: 11.06.2014 एवं संशोधित परिपत्र दिनांक: 07.08.2014 व वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम दिनांक 08.08.2019 एवं दिनांक 25.10.2019 के प्रावधानानुसार कार्मिक के परिवीक्षाकाल में "124 दिवस" की वृद्धि होगी तथा बढी हुई अवधि में और "असाधारण अवकाश" लेने पर परिवीक्षाकाल में तदनुसार उतनी वृद्धि होगी।

(सौरभ स्वामी )  
अईएएन.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर  
दिनांक 10/11/2020

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-4/रजीगु/अवकाश(2)/बो-2/2019-22

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा।
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक।
3. संबंधित प्रधानाचार्य राउमावि/रावाउमावि.....।
4. संबंधित कार्मिक.....।
5. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा।
6. रक्षित पत्रायली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

## प्रोबेशन में अवैतनिक अवकाश लेने से प्रोबेशन आगे बढ़ने बाबत आवश्यक जानकारी



1👉 11/06/14 से पहले 90 दिन अवैतनिक ले सकते थे।  
प्रोबेशन आगे नहीं बढ़ेगा।

2👉 11/06/14 और इससे आगे 07/08/19 तक एक माह से अधिक अवैतनिक अवकाश पर रहने पर एक माह से जितना ज्यादा उतना प्रोबेशन आगे बढ़ेगा।

उदाहरण👉 इस अवधि में 33 दिन अवैतनिक पर 3 दिन प्रोबेशन आगे बढ़ेगा।

3👉 08/08/2019 से 30 दिन से अधिक अवैतनिक अवकाश लेने पर प्रोबेशन में कुल जितना अवैतनिक अवकाश लिया है उतना ही पूर्ण अवधि के लिए प्रोबेशन बढ़ेगा।

उदाहरण👉 08/08/2019 के बाद प्रोबेशन अवधि में 33 दिन अवैतनिक अवकाश लिया है तो प्रोबेशन 33 दिन आगे बढ़ेगा।  
वर्तमान में यही नियम प्रचलित में है।

नोट:-(1) वर्तमान नियमानुसार प्रोबेशन में 30 दिन तक का अवैतनिक अवकाश लेने पर प्रोबेशन आगे नहीं बढ़ता है।  
(2) वर्तमान में प्रोबेशन में अवैतनिक अवकाश स्वयं या परिवार के किसी सदस्य के बीमारी पर Dr के प्रमाण पत्र के आधार पर ही स्वीकृत होता है।



**GOVERNMENT OF RAJASTHAN  
FINANCE DEPARTMENT  
(RULES DIVISION)**

F.1(2)FD/Rules/2008 Pt-I

Jaipur, dated:

08 JAN 2020

**MEMORANDUM**

**Subject :- Regarding successful completion of period of probation by probationer-trainee and grant of pay in the pay scale / running pay band of the post.**

In partial modification of Finance Department memorandum of even Number dated 11.06.2014, powers are delegated for grant of extraordinary leave to probationer trainee in place of existing provisions contained in para 2 and 3 of aforesaid Memorandum as under:-

s. No	Period of Extraordinary Leave	Authority competent to grant EoL
1	Upto one month	Appointing authority
2	Beyond one month in exceptional and unavoidable circumstances	Administrative Department

The powers for grant of extraordinary leave to probationer trainee shall be subject to observation of following guidelines:-

1. Prior sanction of extraordinary leave shall be pre-requisite in all such cases.
2. No extraordinary leave be sanctioned for study purpose and for preparing competitive examination.
3. Extraordinary leave shall be granted up to one month by appointing authority on reasonable grounds. Extraordinary leave beyond one month shall be granted in exceptional and unavoidable circumstances, related to medical urgency.
4. In case of extraordinary leave applied for critical illness of self, wife/husband, mother, father and children, extraordinary leave can be sanctioned on the basis of certificate of authorized medical attendant.
5. Those who proceed on extraordinary leave without prior sanction shall be treated as cases of wilful absence and liable to disciplinary action.
6. If anyone remains absent without getting prior sanction for extraordinary leave or in cases where absence is due to higher study / preparing for competitive examination, the period of absence shall be treated as dies non and the same shall not be countable for any purpose.
7. In all cases where extraordinary leave period is exceeding one month, the probation period shall be extended for the entire period of extraordinary leave.

  
31/1/2020

**(Hemant Gera)**  
**Secretary to the Government,**  
**Finance (Budget)**

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN  
FINANCE DEPARTMENT  
(RULES DIVISION)**

**MEMORANDUM**

No. F. 1(2)FD/Rules/2006-I

Jaipur, dated : **F 8 AUG 2019**


**Sub:- Regarding successful completion of period of probation by probationer-trainees and grant of pay in the pay scale / running pay band of the post.**

In partial modification of Finance Department Memorandum of even number dated 11.06.2014, powers are delegated for grant of extraordinary leave to probationer trainee in place of existing provisions contained in para 2 and 3 of aforesaid Memorandum as under:-

S. No	Period of Extraordinary Leave	Authority competent to grant EoL
1	Upto one month	Appointing authority
2	Beyond one month in exceptional and unavoidable circumstances	Administrative Department

The powers for grant of extraordinary leave to probationer trainee shall be subject to observation of following guidelines:-

1. Prior sanction of extraordinary leave shall be pre-requisite in all such cases.
2. Those who proceed on extraordinary leave without prior sanction shall be treated as cases of wilful absence and liable to disciplinary action.
3. In case of extraordinary leave applied for critical illness of self, wife/husband, mother, father and children, extraordinary leave can be sanctioned on the basis of certificate of authorized medical attendant.
4. Extraordinary leave shall be granted in exceptional and unavoidable circumstances, related to medical urgency.
5. No extraordinary leave be sanctioned for study purpose and for preparing competitive examination.
6. If anyone remains absent without getting prior sanction for extraordinary leave or in cases where absence is due to higher study / preparing for competitive examination, the period of absence shall be treated as dies non and the same shall not be countable for any purpose.
7. In all cases where extraordinary leave period is exceeding one month, the probation period shall be extended for the entire period of extraordinary leave.

  
(Manju Rajpal)

Secretary to the Government,  
Finance (Budget)

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN  
FINANCE DEPARTMENT  
(RULES DIVISION)**

**CLARIFICATION**

No. F. 1(2)FD/Rules/2006-I


Jaipur, dated : **25 OCT 2019**

**Sub:- Regarding successful completion of period of probation by probationer-trainees and grant of pay in the pay scale / running pay band of the post.**

Attention is invited FD Memorandum of even number dated 22.05.2009, 11.06.2014, 07.08.2014 and 08.08.2019 under which provisions are contained for grant of extraordinary leave to probationer trainee. Certain clarification / doubts has been raised for implementation of the above Memorandums.

Accordingly, the matter has been considered with reference to the provisions of Rule 4A of Rajasthan Service Rules under which it has been mentioned that an Officer's claim to leave shall be regulated by the rules in force at the time leave is applied for and granted. Hence, it is clarified that:-

1. In all pending cases of employees who availed extraordinary leave exceeding three months prior to 11.06.2014 the period of probation is to be extended by the period of extraordinary leave availed beyond three months.
2. The employees who were continuing to avail extraordinary leave exceeding three months even before 11.06.2014 and onwards, in such cases also the period of probation is to be extended by the period of extraordinary leave availed beyond three months.
3. In all cases where extraordinary leave exceeding one month is availed on or after 11.06.2014, till 07.08.2019 the probation period will be extended for the period of extraordinary leave taken beyond one month.
4. The employees who were continuing to avail extraordinary leave exceeding one month even before 08.08.2019 and onwards, in such cases also the period of probation is to be extended by the period of extraordinary leave availed beyond one month.
5. In all cases where extraordinary leave exceeding one month is availed on or after 08.08.2019, the probation period shall be extended for the entire period of extraordinary leave.

  
(Hemant Kumar Gera)  
Secretary to the Government,  
Finance (Budget)

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN  
FINANCE DEPARTMENT  
(RULES DIVISION)**

**MEMORANDUM**

**No. F. 1(2)FD/Rules/2006-I**

**Jaipur, dated : 28 JAN 2020**

**Sub:- Regarding successful completion of period of probation by probationer-trainees and grant of pay in the pay scale / running pay band of the post.**

At the end of Finance Department Memorandum of even number dated 06.01.2020 the following new para be inserted.-

'Finance Department Memorandum of even number dated 08.08.2019 shall stand superseded.

Finance Department Clarification of even number dated 25.10.2019 shall be applicable for implementation of the provisions of Memorandum dated 06.01.2020.'

  
28/01/2020  
(Hemant Kumar Gera)


Secretary to the Government,  
Finance (Budget)

## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

: : कार्यालय आदेश : :

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 (अधिसूचना क्रमांक एफ.5-(I) वित्त/नियम-2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017) के नियम-16 की अनुसूची-IV की टिप्पणी संख्या-4 के अनुसार "Probationer trainee shall be eligible for casual leave of 15 days in a calendar year and for period of less than a calendar year. It shall be admissible in proportion on the basis of completed months."

Calendar year जनवरी से दिसम्बर होता है। अतः उपरोक्तानुसार आकस्मिक अवकाश कलैण्डर वर्ष में ही स्वीकृत किया जा सकता है। आकस्मिक अवकाश चालू कलैण्डर वर्ष में ही स्वीकृत किया जा सकता है। कलैण्डर वर्ष समाप्ति के पश्चात् पूर्व वर्ष के बकाया आकस्मिक अवकाश लैप्स हो जाते हैं। जिन्हें पूर्व प्रभाव से स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।


  
वित्तीय सलाहकार  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक:शिविरा/माध्य/स्थिरी-अ/34848/2017

दिनांक: 22.05.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा।
3. समस्त ग्रुप / अनुभाग अधिकारी, कार्यालय हाजा।
4. वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
- ✓ 5. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. महामंत्री, राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ को उनके ज्ञापन राप्राएवं माशिसं/बीका/प्रदेश/2018-19 दिनांक 11.04.2019 के क्रम में।

  
वित्तीय सलाहकार  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:शिविरा/माध्य/स्थिरी/34848/2017

दिनांक: 18.09.2019

समस्त संयुक्त निदेशक,स्कूल शिक्षा परिक्षेत्र,  
समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,  
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,(मुख्यालय)  
माध्यमिक

विषय:- परीवीक्षा अवधि में आकस्मिक अवकाश की देयता के सम्बन्ध में ।  
प्रसंग :- इस कार्यालय का पत्रांक दिनांक 04.09.2019

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/स्थिरी-अ/39848/2017 दिनांक 22.05.2019 द्वारा परीवीक्षाकाल में आकस्मिक अवकाश के सम्बन्ध में "राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 (अधिसूचना क्रमांक एफ.5-(I) वित्त/नियम-2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017) के नियम-16 की अनुसूची-IV की टिप्पणी संख्या-4 के अनुसार "Probationer trainee shall be eligible for casual leave of 15 days in a calendar year and for period of less than a calendar year. It shall be admissible in proportion on the basis of completed months." आकस्मिक अवकाश जनवरी से दिसम्बर तक की अवधि को कैलण्डर वर्ष मानकर स्वीकृत करने के निर्देश दिये गये थे ।

उक्त आदेश को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक:- शिविरा/माध्य/स्थिरी-अ/34848/2017 दिनांक: 04.09.2019 द्वारा आंशिक संशोधित किया जाकर राजस्थान सेवानियम-1951 खण्ड द्वितीय के परिशिष्ट-1 के प्रावधानानुसार संशोधित किया जाकर शैक्षिक विभागो (विश्रामकालीन विभाग) के शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए आकस्मिक अवकाश के लिए कलैण्डर वर्ष 01 जुलाई से 30 जून तक रखने का संशोधित आदेश जारी किया गया। अतः इस कार्यालय के आदेश दिनांक 22.05.2019 की अनुपालना में कार्मिको के पूर्व में स्वीकृत आकस्मिक अवकाश (राजस्थान सेवानियम-1951 खण्ड द्वितीय के परिशिष्ट-1 के प्रावधानानुसार संशोधित किया जाकर शैक्षिक विभागो (विश्रामकालीन विभाग) के शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए आकस्मिक अवकाश के लिए कलैण्डर वर्ष 01 जुलाई से 30 जून तक) को संशोधित किया गया था । अब इस कार्यालय के आदेश दिनांक 04.09.2019 द्वारा परीवीक्षाधीन कार्मिको के 22.05.2019 के द्वारा संशोधित आदेश से पूर्व में स्वीकृत आकस्मिक अवकाश के आदेश को बहाल करने का संशोधित आदेश सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष द्वारा जारी किया जाकर प्रभावित कार्मिको को देय एरियर राशि का नियमानुसार भुगतान/वसूली की कार्यवाही Due Drawn Statement के आधार पर सुनिश्चित की जावे । इस कार्यालय के आदेश दिनांक 22.05.2019 के द्वारा स्वीकृत किये गये आकस्मिक अवकाश के प्रकरणो को दिनांक 04.09.2019 के अनुसार संशोधित किया जाकर प्रभावित कार्मिको के प्रकरणो का परीवीक्षाकाल अवधि में पूर्व में स्वीकृत अवकाशों एवं अवकाश के कारण प्रभाव को पुनरीक्षण कर देय बकाया राशि/आधिक्य भुगतान की वसूली की कार्यवाही नियमानुसार की जावे। इस आदेश की पालना के सम्बन्ध में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय/प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय अपने स्तर पर अवगत करावें ।

  
वित्तीय संलाहकार  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर

राजस्थान सरकार  
शिक्षा (सुप-2) विभाग

क्रमांक : ए. 17(2)शिक्षा-2/2008

जयपुर, दिनांक : 13.10.17

निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर।

विषय : दिनांक 20.01.2008 से पूर्व राज्य सेवा में कार्यरत कार्मिक की प्रोबेशनरी ट्रेनी के रूप में नियुक्ति पर प्रोबेशन काल में अवकाश के संबंध में मार्ग-दर्शन प्रदान करने बाबत।

संदर्भ : आपदा पत्र क्रमांक-शिक्षा/माध्य/संख्या/सी-5/पीएच  
/अर्चनाधामाई/ दिनांक 13.07.2012


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि दिनांक 20.01.2008 से पूर्व राज्य सेवा में कार्यरत कार्मिक की 'प्रोबेशनरी ट्रेनी' के रूप में नियुक्ति पर प्रोबेशन काल में अवकाश के संबंध में 'वित्त विभाग' द्वारा निम्नानुसार राय/टिप्पणी दी गई है : -

1. 'राजस्थान सेवा नियम, 1951' के नियम-122-ए के प्रावधानों के अनुसार प्रोबेशनरी ट्रेनी परीक्षा अवधि में अवकाश अर्जित नहीं करेगा। अतः प्रोबेशनरी ट्रेनी, जो पूर्व में राज्य सरकार की नियमित सेवा में थे, वे भी परीक्षा अवधि में अवकाश अर्जित नहीं करेंगे।
2. न्यूनियुक्त प्रोबेशनरी ट्रेनी को पूर्व में राज्य सरकार की नियमित सेवा के दौरान अर्जित एवं शेष अवकाश के उपभोग करने की अनुमति दिये जाने का निर्णय सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी द्वारा लिया जावेगा।
3. पूर्व सेवा में अर्जित अवकाश का उपभोग करने की अनुमति यदि नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है, तो ऐसे अवकाश के कारण परीक्षा अवधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उक्त राय/टिप्पणी वित्त (नियम) विभाग की आई.डी. संख्या-221201306 दिनांक 12.10.2012 के द्वारा प्राप्त कर प्रदान की जा रही है।

भवदीय,

  
शासन सचिव-प्रथम

# कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पं.राज (प्रा.शि.) राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/प्रारं/शि.सं/एफ-4/पत्रा.बीएड.अनु./समस्त मं./2019/ दिनांक:- 19/06/2019

परिपत्र


विषय : परीक्षाकाल में पत्राचार से उच्च अध्ययन / बी.एड. करने की अनुमति बाबत ।

इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक शिविरा/प्रारं/संस्था /एफ-7/1285/09 दिनांक 11.04.2000, शिविरा/प्रारं/संस्था /एफ-6/परीक्षा अनुज्ञा/विविध/06/35 दिनांक 12.05.2008 तथा शिविरा/प्रारं/संस्था /एफ-6/परीक्षा अनुज्ञा/विविध/06/60 दिनांक 18.03.2013 द्वारा सार्वजनिक परीक्षा में भाग लेने व साक्षात्कार /शोध कार्य/उच्च अध्ययन/प्रशिक्षण के सम्बन्ध में अनापत्ति जारी करने के सम्बन्ध में निर्देश तथा सक्षम प्राधिकार जारी किये गये हैं।

इसी के साथ ही नव नियुक्त अध्यापको के संबंध में शासन के पत्रांक प.5(42)प्राशि/2005 जयपुर दिनांक 29.09.2005 के द्वारा यह अंकित किया है कि वित्त विभाग की राय के अनुसार राजस्थान सेवा नियम 96(बी) के तहत अस्थायी राज्य कर्मचारी जिसकी निरन्तर सेवा में 3 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है, को निरन्तरता में 90 से अधिक असाधारण अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। अतः ऐसे नवनियुक्त कर्मचारी को अध्ययन पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

परीक्षाकाल में पत्राचार से उच्च अध्ययन/बी.एड करने की अनुमति बाबत प्रकरणों के संबंध में शासन उप सचिव, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, जयपुर के पत्रांक प.5(25)प्रा.शि./2019 दिनांक 04.06.2019 के क्रम में विभाग द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि ऐसे प्रकरणों में अनुमति निम्नलिखित शर्तों के तहत दी जा सकेगी :-


1. परीक्षाकाल में पत्राचार से उच्च अध्ययन/बी.एड करने की अनुमति उन्ही अध्यापको को दी जा सकेगी जिनके परीक्षा कार्यक्रम/ सम्पर्क कार्यक्रम शिविरा पंचांग में निर्धारित मध्याह्नि अवकाश, शीतकालीन अवकाश और ग्रीष्मकालीन अवकाश के दिनों में ही आयोजित होंगे।
2. परीक्षाकाल में पत्राचार से उच्च अध्ययन/बी.एड करने वाले कर्मिक को विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अध्ययन अवकाश देय नहीं होगा।
3. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि विद्यालय समय के समान ही हो तो स्वीकृति नहीं दी जा सकेगी।
4. प्रत्येक वर्ष हेतु अलग-अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
5. प्रशासनिक कारणवश स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकेगी।
6. यह स्वीकृति पूर्व के परिपत्रों में दिये गये निर्देशों के क्रम में अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा नहीं दी जावेगी अपितु अंकित शर्तों को पूर्ण करने वाले प्रकरण, प्रार्थी से सहमति का शपथ पत्र प्राप्त कर अपनी स्पष्ट अभिशंथा सहित निदेशालय को भिजवाये जाने पर परीक्षण के आधार पर इस कार्यालय द्वारा जारी की जा सकेगी।

  
निदेशक

प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं पंराज  
(प्रारं. शिक्षा) विभाग, राजस्थान,  
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन उपसचिव प्रारंभिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल शिक्षा समस्त।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्राशि समस्त।
4. प्रभारी सूचना सहायक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

  
निदेशक

प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं पंराज  
(प्रारं. शिक्षा) विभाग, राजस्थान,  
बीकानेर

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN  
FINANCE DEPARTMENT  
(RULES DIVISION)**

**NOTIFICATION**


**o. F. 1(6)FD/Rules/2011**

**Jaipur, dated : 15 FEB 2012**

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor hereby notifies following rules further to amend the Rajasthan Service Rules, 1951, namely:-

1. These rules may be called the Rajasthan Service (Amendment) Rules, 2012
2. These rules shall come into force with immediate effect.
3. In the said rules - the existing Rule 103A shall be substituted by the following, namely:-
  - 122A (i) Probationer-trainees shall earn no leave during the period of probation.
  - (ii) Female probationer-trainees shall be granted maternity leave as per rule 103 and 104
  - (iii) Male probationer-trainees shall be granted paternity leave as per rule 103A.

**By Order of the Governor,**


  
**(Akhii Arora)**  
**Secretary to the Government**  
**Finance (Budget)**

Copy forwarded to -

- Principal Secretary to H.E. Governor.
- Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister.
- All Special Assistants / Private Secretaries to Ministers / State Ministers.
- All Additional Chief Secretaries/ Principal Secretaries/Secretaries/Special Secretaries to the Government.
- D.S. to Chief Secretary.
- Accountant General Rajasthan, Jaipur (200 copies).
- All Heads of the Departments.
- Director, Treasuries & Accounts, Rajasthan, Jaipur with 100 spare copies for sending to all Sub-Treasury Officers.
- Director, Pension & Pensioners' Welfare Department, Rajasthan, Jaipur.
- Deputy Director (Statistics), Chief Ministers' Office.
- All Treasury Officers.
- All Sections of the Secretariat.
- Administrative Reforms (Gr.7) with 7 copies.
- Vidhi Rachana Sanghathan, for Hindi translation.
- System Analyst (Joint Director) Finance Department (Computer Cell).

Copy also to the -

- Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur with 20 extra copies for Subordinate Legislative Committees.
- Registrar General, Rajasthan High Court, Jodhpur / Jaipur.
- Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Ajmer.
- Secretary, Lokayukta Sachivalaya, Rajasthan, Jaipur.

  
**(D.K. Mittal)**  
**Officer on Special Duty**

(RSR - 04 / 2012)

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-2) विभाग

सं. एफ. 7(1)डीओपी/ए-2/2020

जयपुर, दिनांक : 4.02.2022

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, इसमें संलग्न अनुसूची में यथोल्लिखित विभिन्न सेवा नियमों को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विभिन्न सेवा (संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये 20.01.2006 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. संशोधन.- इसमें संलग्न अनुसूची के स्तंभ संख्यांक 2 में यथोल्लिखित प्रत्येक सेवा नियम के सामने, स्तंभ संख्यांक 3 में यथोल्लिखित "कतिपय मामलों में स्थायीकरण" से संबंधित नियम के विद्यमान उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(1) पूर्ववर्ती नियम में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, सेवा में किसी पद पर, इन नियमों के अधीन सीधी भर्ती द्वारा परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्त हुए किसी व्यक्ति को, परिवीक्षा की दो वर्ष की कालावधि की सफलतापूर्वक समाप्ति पर छह माह के भीतर स्थायी नहीं किया गया हो तो वह अपनी वरिष्ठता के अनुसार स्थायी माने जाने का हकदार होगा/होगी यदि,-

(i) उसने एक ही नियुक्ति प्राधिकारी के अधीन उस पद पर या उच्चतर पद पर कार्य किया हो या इस प्रकार कार्य करता/करती यदि वह प्रतिनियुक्ति या प्रशिक्षण पर नहीं होता/होती;

(ii) वह इन नियमों के अधीन विहित कोटा के अध्यक्षीन रहते हुए, स्थायीकरण से संबंधित नियम के अधीन विहित शर्तें पूरी करता/करती हो; और

(iii) वह किसी अधिष्ठायी रिक्ति के प्रति नियुक्त किया गया/गयी है।”

6/2/22

अनुसूची

क्र.सं.	सेवा नियमों का नाम	नियम का संख्यांक
1	2	3
1.	राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954	34क
2.	राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954	34क
3.	राजस्थान लेखा सेवा नियम, 1954	33क
4.	राजस्थान रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प निरीक्षक सेवा नियम, 1954	28क
5.	राजस्थान अभियंता सेवा (विद्युत एवं यांत्रिक शाखा) नियम, 1954	29क
6.	राजस्थान अभियंता और अनुसंधान अधिकारी सेवा (सिंचाई शाखा) नियम, 1954	29क
7.	राजस्थान अभियंता सेवा (भवन एवं पथ शाखा) नियम, 1954	29क
8.	राजस्थान सहकारी सेवा नियम, 1954	29(क)
9.	राजस्थान मोटर गैराज सेवा नियम, 1958	27क
10.	राजस्थान श्रम एवं कल्याण सेवा नियम, 1958	27क
11.	राजस्थान आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा नियम, 1958	32क
12.	राजस्थान फैक्टरी और बायलर निरीक्षक और फैक्टरी (रसायन) निरीक्षक सेवा नियम, 1958	30क
13.	राजस्थान कारागार सेवा नियम, 1959	28क
14.	राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि सेवा नियम, 1959	30क
15.	राजस्थान राजकीय मुद्रणालय सेवा नियम, 1960	33क
16.	राजस्थान नियोजन कार्यालय सेवा नियम, 1960	28क
17.	राजस्थान खान एवं भू-गर्भ सेवा नियम, 1960	28क
18.	राजस्थान कृषि सेवा नियम, 1960	30क
19.	राजस्थान उद्योग सेवा नियम, 1960	27क
20.	राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय सेवा नियम, 1960	28क
21.	राजस्थान उद्यान कृषि सेवा नियम, 1962	25क
22.	राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962	26(क)

*Handwritten signature*

23.	राजस्थान वन सेवा नियम, 1962	36क
24.	राजस्थान पशुपालन सेवा नियम, 1963	28क
25.	राजस्थान समाज कल्याण सेवा नियम, 1963	29क
26.	राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963	28क
27.	राजस्थान जनसंपर्क सेवा नियम, 1966	30(क)
28.	राजस्थान नगर नियोजन सेवा नियम, 1966	29क
29.	राजस्थान प्राच्यविद्या अनुसंधान संस्थान सेवा नियम, 1967	30क
30.	राजस्थान आबकारी (निवारक अधिकारी) सेवा नियम, 1967	23क
31.	राजस्थान अभियंता सेवा और सहबद्ध पद (जन स्वास्थ्य शाखा) नियम, 1968	30क
32.	राजस्थान भू-जल सेवा नियम, 1969	29क
33.	राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा नियम, 1971	22क
34.	राजस्थान स्थापत्य सेवा लो.नि.वि. (भ.एवं स.) नियम, 1973	30क
35.	राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम, 1973	28क
36.	राजस्थान आबकारी सेवा (सामान्य शाखा) नियम, 1974	19
37.	राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण सेवा नियम, 1975	29
38.	राजस्थान पुरालेख सेवा नियम, 1975	30क
39.	राजस्थान अभियांत्रिकी सेवा (विद्युत निरीक्षणालय शाखा) नियम, 1975	29
40.	राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद सेवा नियम, 1976	28
41.	राजस्थान पर्यटन सेवा नियम, 1976	28
42.	राजस्थान होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा सेवा नियम, 1976	28
43.	राजस्थान अभियोजन सेवा नियम, 1978	14
44.	राजस्थान मूल्यांकन सेवा नियम, 1979	30
45.	राजस्थान पुलिस न्याय संबंधी विज्ञान सेवा नियम, 1979	29
46.	राजस्थान राज्य उपक्रम सेवा नियम, 1979	29
47.	राजस्थान परिवहन सेवा नियम, 1979	29
48.	राजस्थान पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण सेवा	14



	(महाविद्यालय शाखा) नियम, 1980	
49.	राजस्थान जिला गजेटियर्स सेवा नियम, 1980	29
50.	राजस्थान विधिक राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1981	33
51.	राजस्थान विधि रचना राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1981	33
52.	राजस्थान राज्य कृषि विपणन सेवा नियम, 1986	29
53.	राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान सेवा नियम, 1990	14
54.	राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992	36
55.	राजस्थान सचिवालय पुस्तकालयाध्यक्ष राज्य एवं अधीनस्थ नियम, 1997	32
56.	राजस्थान ग्रामीण विकास और पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1998	34
57.	राजस्थान एकीकृत बाल विकास राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 1998	35
58.	राजस्थान देवस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 2000	34
59.	राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 2001	33
60.	राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियम, 2007	33
61.	राजस्थान ग्रामीण आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम, 2008	36
62.	राजस्थान तकनीकी शिक्षा (गैर-अभियांत्रिकी) सेवा नियम, 2010	34
63.	राजस्थान तकनीकी शिक्षा (अभियांत्रिकी) सेवा नियम, 2010	35
64.	राजस्थान पेट्रोलियम राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 2012	36
65.	राजस्थान मत्स्य राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 2012	36
66.	राजस्थान भाषा एवं पुस्तकालय (राज्य और अधीनस्थ) सेवा नियम, 2013	37
67.	राजस्थान नागरिक उड्डयन राज्य सेवा नियम, 2013	37
68.	राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ (विद्यालय शाखा) नियम, 2015	37
69.	राजस्थान आबकारी प्रयोगशाला (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2015	36

*Shy*

70.	राजस्थान महिला अधिकारिता (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2017	38
71.	राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2017	39
72.	राजस्थान जैव-ईंधन (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2019	37
73.	राजस्थान विश्राम भवन (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2019	39
74.	राजस्थान विज्ञान एवं तकनीकी (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021	38
75.	राजस्थान शिक्षा(राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021	38
76.	राजस्थान अधीनस्थ सहकारी सेवा (श्रेणी-I) नियम, 1955	32क
77.	राजस्थान तहसीलदार सेवा नियम, 1956	34क
78.	राजस्थान खान एवं भू-गर्भ अधीनस्थ सेवा नियम, 1960	29क
79.	राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963	32क
80.	राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम, 1963	28क
81.	राजस्थान परिवहन अधीनस्थ सेवा नियम, 1963	29क
82.	राजस्थान उद्यान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम, 1965	29क
83.	राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965	29क
84.	राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम, 1966	31क
85.	राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम, 1966	30क
86.	राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (जन स्वास्थ्य शाखा) नियम, 1967	29क
87.	राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (सिंचाई शाखा) नियम, 1967	29क
88.	राजस्थान पुरालेख अधीनस्थ सेवा नियम, 1968	30क
89.	राजस्थान सांख्यिकी अधीनस्थ सेवा नियम, 1971	29क
90.	राजस्थान राजकीय मुद्रणालय अधीनस्थ सेवा नियम, 1973	29
91.	राजस्थान तकनीकी शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1973	28क
92.	राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी (भवन एवं पथ शाखा) सेवा नियम, 1973	28


*Shrey*

93.	राजस्थान भू-जल अधीनस्थ सेवा नियम, 1973	28(क)
94.	राजस्थान नगर नियोजन अधीनस्थ सेवा नियम, 1974	28
95.	राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा नियम, 1974	28
96.	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (सामान्य शाखा) नियम, 1974	29
97.	राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण अधीनस्थ सेवा नियम, 1975	29
98.	राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा (सामान्य शाखा) नियम, 1975	29(क)
99.	राजस्थान जनसंपर्क अधीनस्थ सेवा नियम, 1975	28
100.	राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा नियम, 1975	33(क)
101.	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (निवारक शाखा) नियम, 1976	28
102.	राजस्थान राज्य उपक्रम अधीनस्थ सेवा नियम, 1976	28
103.	राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम, 1977	27(क)
104.	राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम, 1978	28
105.	राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा नियम, 1978	29
106.	राजस्थान मोटर गैराज अधीनस्थ सेवा नियम, 1979	29
107.	राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1979	29
108.	राजस्थान पुलिस न्याय संबंधी विज्ञान अधीनस्थ सेवा नियम, 1980	28
109.	राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2001	41
110.	राजस्थान ग्रामीण आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम, 2008	34
111.	राजस्थान विद्यालय सहायक अधीनस्थ सेवा नियम, 2015	34
112.	राजस्थान मदरसा शिक्षा सहायक अधीनस्थ सेवा नियम, 2013	33
113.	राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014	14
114.	राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015	44
115.	राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (विद्युत निरीक्षणालय शाखा) नियम, 2020	35

*[Handwritten signature]*

116.	राजस्थान होम गार्ड अधीनस्थ सेवा नियम, 2021	44
117.	राजस्थान सचिवालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1970	30क
118.	राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999	39
119.	राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1999	31

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

  
(जय सिंह)

संयुक्त शासन सचिव

10/2022



# शैक्षिक समाचार राजस्थान



बहनों/भाईयों शिक्षा विभाग में नव नियुक्ति पर बधाई। आगे नियुक्त होने वालों को अग्रिम बधाई।

आपका दो वर्ष प्रोबेशन काल रहेगा। सफलता से प्रोबेशन पूर्ण करने पर स्थाईकरण (नियमितकरण) होगा। इसके बाद पद का पूरा वेतन मिलना शुरू होगा।

दो वर्ष प्रोबेशन में लिए गये अवकाश की जांच कर नियमानुसार सही होने पर ही वेतन नियमितकरण होता है।

वित्त विभाग के नोटिफिकेशन F.15(1)FD/Rules/2017 Jaipur Dated 30 October 2017 Schedule IV (Rule No 16) पेज 63 पर बिन्दू 1 अनुसार प्रोबेशन में निश्चित मानदेय मिलेगा।

नव नियुक्ति से पहले कोई किसी राजकीय सेवा में स्थाई रहा है, वो प्रोबेशन में पूर्व के पद का वेतन या नव नियुक्त पद का निश्चित मानदेय जो उचित लगे ले सकता है। आदेश 30 October 2017 के Schedule IV (Rule No 16) पेज 64 पर बिन्दू 6

प्रोबेशनर ट्रेनी को एक कलैण्डर वर्ष में 15 सीएल मिलेगी। आदेश 30 October 2017 के Schedule IV (Rule No 16) पेज 63 पर बिन्दू 4

कलैण्डर स्कूलों के लिए जुलाई से जून रहेगा। वित्तीय सलाहकार माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा 4 सितम्बर 2019 को आदेश जारी कर स्पष्ट किया गया है कि स्कूलों में प्रोबेशन पर कार्यरत शैक्षिक स्टाफ के लिए सीएल गणना कलैण्डर जुलाई से जून रहेगा। जुलाई के बाद जोड़ने करने वालों को एक महिने की सवा सीएल मिलेगी। प्रतिमाह सीएल का उपभोग नहीं करने पर जमा होती रहेगी। शिविरा कलैण्डर अनुसार 30 जून को जमा सी.एल लैप्स होगी। फिर एक जुलाई से प्रतिमाह सवा सीएल मिलेगी।

बिन्दू 7 (i) अनुसार प्रोबेशन काल में पीएल और एचपीएल (हाफ पे लीव) अर्न (जमा) नहीं होती है। लेकिन प्रोबेशन से पूर्व की सेवा की पीएल और एचपीएल सेवा पुस्तिका में जमा (बकाया) है। वह राजस्थान सरकार शिक्षा (गुप-2) विभाग के शासन उप सचिव के हस्ताक्षर से जारी पत्र प.17(2) शिक्षा-2/2008 जयपुर दिनांक 18-10-12 के तहत खाते में जमा पीएल तथा एचपीएल का उपभोग प्रोबेशन काल में कर सकता है। इससे प्रोबेशन आगे नहीं सरकेगा।

बिन्दू 7 (ii) अनुसार प्रोबेशन काल में महिला को प्रसूति अवकाश देय होगा। प्रसूति अवकाश में पूरा वेतन मिलता है इसलिए प्रोबेशन आगे नहीं सरकेगा।

बिन्दू 7 (iii) प्रोबेशन काल में पुरुष को पितृत्व अवकाश देय होगा। पितृत्व अवकाश में पूरा वेतन मिलता है। इसलिए प्रोबेशन आगे नहीं सरकेगा।

2 वर्ष प्रोबेशन काल में महिला कार्मिक को चाईल्ड केयर लीव सामान्य परिस्थिति में देय नहीं होगी। यदि विशेष परिस्थितियों में स्वीकृत की जाती है तो इससे प्रोबेशन आगे सरकेगा। (नोटिफिकेशन F.1(6)FD/Rules/2011 Jaipur Dated 22 MAY 2018)

प्रोबेशन में 90 असाधारण अवकाश (विदाऊट पे) लिए जा सकते हैं। Schedule IV (Rule No 16) बिन्दू 8 (संशोधित नोटिफिकेशन F.15(1)FD/Rules/2017 Jaipur Dated 25 SEP 2018) लेकिन नोटिफिकेशन F.1 (2)FD/Rules/2006 Pt-I Jaipur Dated 7 AUG 2014 एवं F.1(2)FD/Rules/2006 -I Jaipur Dated 8 AUG 2019 के तहत इसमें से केवल एक माह (30 दिन) तक प्रोबेशन आगे नहीं सरकता है। शेष 60 दिन प्रोबेशन आगे सरकता है। इसी आदेश 08-08-2019 से असाधारण अवकाश में अनेक शर्तें लगाकर एक माह की स्वीकृति नियुक्ति अधिकारी द्वारा और अधिक की प्रशासनिक विभाग द्वारा करने का प्रावधान किया गया है।

नियमानुसार ही अवकाश लेवें ताकि 2 वर्ष बाद स्थाईकरण - वेतन नियमितकरण के समय बाधा नहीं रहे।

सुविधा के लिये शिक्षा विभाग के आदेश संलग्न है। राज्य के वित्त विभाग के आदेश वित्त विभाग की वैबसाईट पर भी उपलब्ध है। इनके प्रिन्ट निकलवाकर स्कूलों और संगठन कार्यालयों में सुरक्षित रखें। सभी को जानकारी दें।

संगठन से स्नेह बनाये रखें।

आपका विश्वासी

(महेन्द्र पाण्डे)  
महामन्त्री

राजस्थान सरकार  
शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : ए. 17(2)शिक्षा-2/2008

जयपुर, दिनांक 14.10.12

निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर।

विषय : दिनांक 20.01.2008 से पूर्व राज्य सेवा में कार्यरत कार्मिक की प्रोबेशनरी ट्रेनी के रूप में नियुक्ति पर प्रोबेशन काल में अवकाश के संबंध में मार्ग-दर्शन प्रदान करने बाबत।

संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक-सिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/पीएच  
/अर्धमासाई/ दिनांक 13.07.2012

महोदय,

उपरोक्त दिवसान्तर्गत संयमित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि दिनांक 20.01.2008 से पूर्व राज्य सेवा में कार्यरत कार्मिक की 'प्रोबेशनरी ट्रेनी' के रूप में नियुक्ति पर प्रोबेशन काल में अवकाश के संबंध में 'वित्त विभाग' द्वारा निम्नानुसार राय/टिप्पणी दी गई है : -

1. 'राजस्थान सेवा नियम, 1951' के नियम-122-ए के प्राधान्यों के अनुसार प्रोबेशनरी ट्रेनी परीक्षा अवधि में अवकाश अर्जित नहीं करेगा। अतः प्रोबेशनरी ट्रेनी, जो पूर्व में राज्य सरकार की नियमित सेवा में थे, वे भी परीक्षा अवधि में अवकाश अर्जित नहीं करेंगे।
2. न्यूनियुक्त प्रोबेशनरी ट्रेनी को पूर्व में राज्य सरकार की नियमित सेवा के दौरान अर्जित एवं शेष अवकाश के उपयोग करने की अनुमति दिये जाने का निर्णय सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी द्वारा लिया जावेगा।
3. पूर्व सेवा में अर्जित अवकाश का उपयोग करने की अनुमति यदि नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है, तो ऐसे अवकाश के कारण परीक्षा अवधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उक्त राय/टिप्पणी वित्त (नियम) विभाग की आई.डी. संख्या-221201396 दिनांक 12.10.2012 के द्वारा प्राप्त कर प्रदान की जा रही है।

भवदीय,

शारदा उपा  
सचिव-प्रथम

# प्रोबेशन में शिक्षकों की CL गणना जुलाई से जून तक

## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

: : संशोधित कार्यालय आदेश : :

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक: शिविरा/माध्य/स्थिरी-अ/34848/2017 दिनांक 22.05.2019 के द्वारा परीवीक्षाकाल में आकस्मिक अवकाश के सम्बन्ध में निम्नानुसार आदेश जारी किये गये थे :-

"राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 (अधिसूचना क्रमांक एफ.5-(1) वित्त/नियम-2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017) के नियम-16 की अनुसूची-IV की टिप्पणी संख्या-4 के अनुसार "Probationer trainee shall be eligible for casual leave of 15 days in a calendar year and for period of less than a calendar year. It shall be admissible in proportion on the basis of completed months." आकस्मिक अवकाश जनवरी से दिसम्बर तक की अवधि को कैलण्डर वर्ष मानकर स्वीकृत करने के निर्देश दिये गये थे । उक्त आदेश को राजस्थान सेवानियम-1951 खण्ड द्वितीय के परिशिष्ट-1 के प्रावधानानुसार संशोधित किया जाकर शैक्षिक विभागो (विश्रामकालीन विभाग) के शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए आकस्मिक अवकाश के लिए कैलण्डर वर्ष 01 जुलाई से 30 जून तक रहेगा ।

विभाग में कार्यरत परीवीक्षाधीन शिक्षको एवं नियमित शिक्षको के लिए वर्ष के सम्बन्ध में राजस्थान सेवानियम-1951 खण्ड द्वितीय के परिशिष्ट.1 के तत्सम्बन्धी प्रावधान समान रूप से लागू है ।

वित्तीय सलाहकार  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/स्थिरी-अ/34848/2017

दिनांक: 04.09.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा ।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा ।
3. समस्त ग्रुप / अनुभाग अधिकारी, कार्यालय हाजा ।
4. वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ ।
5. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।

वित्तीय सलाहकार  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा शिक्षक जानकारी के लिए प्रसारित

**Schedule IV**  
(Rule No. 16)

**AMOUNT OF FIXED REMUNERATION FOR PROBATIONER-TRAINEE**

S.No.	Existing Grade Pay	Existing Grade Pay No.	Existing Amount of Fixed Remuneration	Corresponding Level	Amount of Fixed Remuneration per month with effect from 01.10.2017	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1	1700	2	6670	L-1	12400	
2	1750	3	7000	L-2	12600	
3	1900	4	7400	L-3	12800	
4	2000	5	7790	L-4	13500	
5	2400	9	8910	L-5	14600	
6	2400	9A	8910	L-6	15100	
7	2400	9B	8910	L-7	15700	
8	2800	10	11820	L-8	18500	
9	2800	10A	11820	L-9	20100	
10	3600	11	13200	L-10	23700	
11	4200	12	14660	L-11	26500	
12	4800	14	17230	L-12	31100	
13	5400	15	22180	L-14	39300	
14	6000	16	24030	L-15	42500	
15	6600	17	26670	L-16	47200	
16	6800	18	28120	L-17	49700	
17	7200	19	29840	L-18	52800	
18	7600	20	31620	L-19	56000	
19	8200	21	35180	L-20	62300	
20	8700	22	48710	L-21	86200	
21	8900	23	51350	L-22	90800	
22	9500	23A	54120	L-23	102100	
23	10000	24	57820	L-24	104200	

**Note:-**

1. The Probationer-trainee shall be entitled only to fixed remuneration as above and he/she will not be entitled to Special Pay, Dearness Allowance, House Rent Allowance, City Compensatory Allowance, Non-Practicing Allowance, Non-Clinical Allowance, Mess Allowance, Washing Allowance or any other allowance(s) called by whatever name. Similarly, he/she will not be eligible for grant of Ad-hoc Bonus and uniform/liveries except wearing of uniform is a legal compulsion under the rules.
2. No Travelling Allowance shall be admissible for joining as a probationer-trainee. In case journey on duty, he/she shall be allowed T.A. as on tour and in case of transfer only Mileage Allowance on the basis of fixed remuneration shall be admissible. In case of transfer only the actual period required for travel will be treated as on duty.
3. No deduction towards General Provident Fund and State Insurance shall be made from the fixed remuneration.
4. Probationer-trainee shall be eligible for Casual Leave of 15 days in a calendar year and for period of less than a calendar year, it shall be admissible in proportion on the basis of completed months.
5. No Deputation Allowance shall be admissible to a Probationer-trainee, if, deputed to 'Foreign Service' for training etc.

*Das*

6. An existing employee already in regular service shall have an option to opt either for the "Fixed remuneration" or the Pay in the Level in the Pay Matrix (not the Level of his/her new appointment), whichever is beneficial to him/her while he/she is under probation. After successful completion of probation period, Pay shall be fixed as per the rules, where such a Government servant will get due advantage of being in a regular Level earlier, and will get due protection of his/her pay.
7. (i) Probationer-trainee shall earn no leave during the period of probation.  
(ii) Female Probationer-trainee shall be granted Maternity Leave as per Rule 103 and 104 of Rajasthan Service Rules, 1951  
(iii) Male Probationer- trainee shall be granted Paternity Leave as per Rule 103A of Rajasthan Service Rules, 1951
8. Extraordinary Leave upto 30 days may be sanctioned by the appointing authority to a Probationer-trainee during the entire period of Probation Training. Beyond 30 days and not more than one year by the appointment authority after prior approval of Administrative Department.
9. Grant of Medical Attendance Allowance Rs 17400/- (including hard duty allowance etc. if any) during the probation period in addition to fixed remuneration to newly appointed Medical Officer.
10. Mediclaim Insurance coverage for the Probationer-trainee during the period of probation shall be applicable, as applicable to Government servants.
11. Contribution towards New Pension Scheme (NPS) @ 10% of fixed remuneration shall be made by the Probationer-trainee and employer both.



Under no circumstance can any female Government servant proceed on Child Care Leave without prior approval of the leave sanctioning authority.

- (v) Child Care Leave shall not be granted under any circumstances to a female Government servant, who remains on an unauthorised absence from duty and applies for it thereafter.
- (vi) Leave already availed or being availed of by a female Government servant shall, under no circumstances, be converted into Child Care Leave.
- (vii) Child Care Leave shall not be debited against any other kind of leave account. The leave account of Child Care Leave shall be maintained in the form specified by the State Government, from time to time and it shall be pasted in the service book.
- (viii) Leave sanctioning authority can deny the leave applied for on the ground of proper and smooth functioning of Government work or achievement of departmental targets.
- (ix) It shall not be granted for more than three spells in a calendar year. A spell, which begins during a calendar year and ends in the next calendar year, shall be deemed as a spell pertaining to the calendar year in which the spell begins.
- (x) It shall ordinarily not be granted to a Probationer trainee during the probation period. However, in special circumstances if the leave is granted during the probation period then the probation period shall be extended by the period equivalent to the period for which the leave has been granted.
- (xi) The leave is to be treated like the Privilege Leave and sanctioned as such.
- (xii) Sunday and holiday can be prefixed or suffixed to Child Care Leave. Consequently, Sunday, Gazetted holiday(s) or any other holiday(s) notified by the Government falling during the period of leave would also count for Child Care

# प्रोबेशन में एक्सट्रा ऑर्डनरी लीव - स्वीकृति अधिकारी

GOVERNMENT OF RAJASTHAN  
FINANCE DEPARTMENT  
(RULES DIVISION)

## MEMORANDUM

No. F. 1(2)FD/Rules/2006-1

Jaipur, dated : 8 AUG 2019


**Sub:- Regarding successful completion of period of probation by probationer-trainees and grant of pay in the pay scale / running pay band of the post.**

In partial modification of Finance Department Memorandum of even number dated 11.06.2014, powers are delegated for grant of extraordinary leave to probationer trainee in place of existing provisions contained in para 2 and 3 of aforesaid Memorandum as under:-

S. No	Period of Extraordinary Leave	Authority competent to grant EoL
1	Upto one month	Appointing authority
2	Beyond one month in exceptional and unavoidable circumstances	Administrative Department

The powers for grant of extraordinary leave to probationer trainee shall be subject to observation of following guidelines:-

1. Prior sanction of extraordinary leave shall be pre-requisite in all such cases.
2. Those who proceed on extraordinary leave without prior sanction shall be treated as cases of wilful absence and liable to disciplinary action.
3. In case of extraordinary leave applied for critical illness of self, wife/husband, mother, father and children, extraordinary leave can be sanctioned on the basis of certificate of authorized medical attendant.
4. Extraordinary leave shall be granted in exceptional and unavoidable circumstances, related to medical urgency.
5. No extraordinary leave be sanctioned for study purpose and for preparing competitive examination.
6. If anyone remains absent without getting prior sanction for extraordinary leave or in cases where absence is due to higher study / preparing for competitive examination, the period of absence shall be treated as dies non and the same shall not be countable for any purpose.
7. In all cases where extraordinary leave period is exceeding one month, the probation period shall be extended for the entire period of extraordinary leave.

  
(Manju Rajpal)

Secretary to the Government,  
Finance (Budget)

मित्रों सरकार द्वारा प्रोबेशन में एक्सट्रा ऑर्डनरी लीव स्वीकृति के लिए अधिकारी का स्पष्टीकरण जारी करने के साथ ही लीव स्वीकृति की शर्तों को कठोर कर दिया गया है- महेन्द्र पाण्डे महामंत्री राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ।

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## :: कार्यालय आदेश ::

राज्य सरकार के ज्ञापन एफ-1(2) एफडी (रुत्स) 06 पार्ट-1 जयपुर दिनांक 11 जून 2014, 07.08.2014, वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम दिनांक 08.08.2019 एवं दिनांक 25.10.2019 तथा राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति क्रमांक: प. 7(19) शिक्षा-2/2018 जयपुर, दिनांक: 26.10.2020 की अनुपालना में निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में कार्यरत परीक्षाकाल की अवधि में उनके नाम के सामने अंकित अवधि में उपभोग किए गए अवकाशों का असाधारण अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम व पदस्थापन स्थान	विषय	लिय गये अवकाश की अवधि	दिनो की संख्या	अवकाश का प्रकार
1	श्रीमती विनिता जांगिट राउमावि धनोता, शाहपुरा, जयपुर	रसायन विज्ञान	19.08.16 से 29.08.2016 तक 19.09.2016 से 07.10.16 तक 13.10.2016 से 18.10.16 तक 07.10.2016 से 18.11.16 तक 22.11.2016 से 07.11.2.16 तक	(11) (19) (06) (12) (16)	कुल 64 दिनो का 'असाधारण अवकाश'

उक्त कार्मिक के 90 दिवस के असाधारण अवकाश कार्यालय हाजा आदेश दिनांक: 24.01.2018 एवं 18.03.2019(संशोधन), द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। कार्मिक के परिवीक्षाकाल में सम्पूर्ण "असाधारण अवकाश" अवधि 154 दिवस है।

उक्त कार्मिक के सम्पूर्ण "असाधारण अवकाश" अवधि 154 दिवस के घेतन का भुगतान कर दिया गया है तो संबंधित संस्था प्रधान उसकी वसुली कर राजकोष में जमा करवायें एवं उक्त अवकाश अवधि के लेखे का कार्मिक की सेवा-पुरस्कार में इन्द्राज करें। वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र दिनांक: 11.06.2014 एवं संशोधित परिपत्र दिनांक: 07.08.2014 व वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम दिनांक 08.08.2019 एवं दिनांक 25.10.2019 के प्रावधानानुसार कार्मिक के परिवीक्षाकाल में "124 दिवस" की वृद्धि होगी तथा बढी हुई अवधि में और "असाधारण अवकाश" लेने पर परिवीक्षाकाल में तदनुसार उतनी वृद्धि होगी।

(सौरभ स्वामी )  
अईएएन.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर  
दिनांक 10/11/2020

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-4/रजीगु/अवकाश(2)/बो-2/2019-22

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा।
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक।
3. संबंधित प्रधानाचार्य राउमावि/रावाउमावि.....।
4. संबंधित कार्मिक.....।
5. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा।
6. रक्षित पत्रायली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

## प्रोबेशन में अवैतनिक अवकाश लेने से प्रोबेशन आगे बढ़ने बाबत आवश्यक जानकारी



1👉 11/06/14 से पहले 90 दिन अवैतनिक ले सकते थे। प्रोबेशन आगे नहीं बढ़ेगा।

2👉 11/06/14 और इससे आगे 07/08/19 तक एक माह से अधिक अवैतनिक अवकाश पर रहने पर एक माह से जितना ज्यादा उतना प्रोबेशन आगे बढ़ेगा।

उदाहरण👉 इस अवधि में 33 दिन अवैतनिक पर 3 दिन प्रोबेशन आगे बढ़ेगा।

3👉 08/08/2019 से 30 दिन से अधिक अवैतनिक अवकाश लेने पर प्रोबेशन में कुल जितना अवैतनिक अवकाश लिया है उतना ही पूर्ण अवधि के लिए प्रोबेशन बढ़ेगा।

उदाहरण👉 08/08/2019 के बाद प्रोबेशन अवधि में 33 दिन अवैतनिक अवकाश लिया है तो प्रोबेशन 33 दिन आगे बढ़ेगा। वर्तमान में यही नियम प्रचलित में है।

नोट:- (1) वर्तमान नियमानुसार प्रोबेशन में 30 दिन तक का अवैतनिक अवकाश लेने पर प्रोबेशन आगे नहीं बढ़ता है।

(2) वर्तमान में प्रोबेशन में अवैतनिक अवकाश स्वयं या परिवार के किसी सदस्य के बीमारी पर Dr के प्रमाण पत्र के आधार पर ही स्वीकृत होता है।

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN  
FINANCE DEPARTMENT  
(RULES DIVISION)**

F.1(2)FD/Rules/2008 Pt-I

Jaipur, dated:

08 JAN 2020

**MEMORANDUM**

**Subject :- Regarding successful completion of period of probation by probationer-trainee and grant of pay in the pay scale / running pay band of the post.**

In partial modification of Finance Department memorandum of even Number dated 11.06.2014, powers are delegated for grant of extraordinary leave to probationer trainee in place of existing provisions contained in para 2 and 3 of aforesaid Memorandum as under:-

s. No	Period of Extraordinary Leave	Authority competent to grant EoL
1	Upto one month	Appointing authority
2	Beyond one month in exceptional and unavoidable circumstances	Administrative Department

The powers for grant of extraordinary leave to probationer trainee shall be subject to observation of following guidelines:-

1. Prior sanction of extraordinary leave shall be pre-requisite in all such cases.
2. No extraordinary leave be sanctioned for study purpose and for preparing competitive examination.
3. Extraordinary leave shall be granted up to one month by appointing authority on reasonable grounds. Extraordinary leave beyond one month shall be granted in exceptional and unavoidable circumstances, related to medical urgency.
4. In case of extraordinary leave applied for critical illness of self, wife/husband, mother, father and children, extraordinary leave can be sanctioned on the basis of certificate of authorized medical attendant.
5. Those who proceed on extraordinary leave without prior sanction shall be treated as cases of wilful absence and liable to disciplinary action.
6. If anyone remains absent without getting prior sanction for extraordinary leave or in cases where absence is due to higher study / preparing for competitive examination, the period of absence shall be treated as dies non and the same shall not be countable for any purpose.
7. In all cases where extraordinary leave period is exceeding one month, the probation period shall be extended for the entire period of extraordinary leave.

  
31/1/2020

**(Hemant Gera)**  
**Secretary to the Government,**  
**Finance (Budget)**

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN  
FINANCE DEPARTMENT  
(RULES DIVISION)**

**MEMORANDUM**

No. F. 1(2)FD/Rules/2006-I

Jaipur, dated : **F 8 AUG 2019**


**Sub:- Regarding successful completion of period of probation by probationer-trainees and grant of pay in the pay scale / running pay band of the post.**

In partial modification of Finance Department Memorandum of even number dated 11.06.2014, powers are delegated for grant of extraordinary leave to probationer trainee in place of existing provisions contained in para 2 and 3 of aforesaid Memorandum as under:-

S. No	Period of Extraordinary Leave	Authority competent to grant EoL
1	Upto one month	Appointing authority
2	Beyond one month in exceptional and unavoidable circumstances	Administrative Department

The powers for grant of extraordinary leave to probationer trainee shall be subject to observation of following guidelines:-

1. Prior sanction of extraordinary leave shall be pre-requisite in all such cases.
2. Those who proceed on extraordinary leave without prior sanction shall be treated as cases of wilful absence and liable to disciplinary action.
3. In case of extraordinary leave applied for critical illness of self, wife/husband, mother, father and children, extraordinary leave can be sanctioned on the basis of certificate of authorized medical attendant.
4. Extraordinary leave shall be granted in exceptional and unavoidable circumstances, related to medical urgency.
5. No extraordinary leave be sanctioned for study purpose and for preparing competitive examination.
6. If anyone remains absent without getting prior sanction for extraordinary leave or in cases where absence is due to higher study / preparing for competitive examination, the period of absence shall be treated as dies non and the same shall not be countable for any purpose.
7. In all cases where extraordinary leave period is exceeding one month, the probation period shall be extended for the entire period of extraordinary leave.

  
(Manju Rajpal)

Secretary to the Government,  
Finance (Budget)

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN  
FINANCE DEPARTMENT  
(RULES DIVISION)**

**CLARIFICATION**

No. F. 1(2)FD/Rules/2006-I


Jaipur, dated : **25 OCT 2019**

**Sub:- Regarding successful completion of period of probation by probationer-trainees and grant of pay in the pay scale / running pay band of the post.**

Attention is invited FD Memorandum of even number dated 22.05.2009, 11.06.2014, 07.08.2014 and 08.08.2019 under which provisions are contained for grant of extraordinary leave to probationer trainee. Certain clarification / doubts has been raised for implementation of the above Memorandums.

Accordingly, the matter has been considered with reference to the provisions of Rule 4A of Rajasthan Service Rules under which it has been mentioned that an Officer's claim to leave shall be regulated by the rules in force at the time leave is applied for and granted. Hence, it is clarified that:-

1. In all pending cases of employees who availed extraordinary leave exceeding three months prior to 11.06.2014 the period of probation is to be extended by the period of extraordinary leave availed beyond three months.
2. The employees who were continuing to avail extraordinary leave exceeding three months even before 11.06.2014 and onwards, in such cases also the period of probation is to be extended by the period of extraordinary leave availed beyond three months.
3. In all cases where extraordinary leave exceeding one month is availed on or after 11.06.2014, till 07.08.2019 the probation period will be extended for the period of extraordinary leave taken beyond one month.
4. The employees who were continuing to avail extraordinary leave exceeding one month even before 08.08.2019 and onwards, in such cases also the period of probation is to be extended by the period of extraordinary leave availed beyond one month.
5. In all cases where extraordinary leave exceeding one month is availed on or after 08.08.2019, the probation period shall be extended for the entire period of extraordinary leave.

  
(Hemant Kumar Gera)  
Secretary to the Government,  
Finance (Budget)

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN  
FINANCE DEPARTMENT  
(RULES DIVISION)**

**MEMORANDUM**

**No. F. 1(2)FD/Rules/2006-I**

**Jaipur, dated : 28 JAN 2020**

**Sub:- Regarding successful completion of period of probation by probationer-trainees and grant of pay in the pay scale / running pay band of the post.**

At the end of Finance Department Memorandum of even number dated 06.01.2020 the following new para be inserted.-

'Finance Department Memorandum of even number dated 08.08.2019 shall stand superseded.

Finance Department Clarification of even number dated 25.10.2019 shall be applicable for implementation of the provisions of Memorandum dated 06.01.2020.'

  
28/01/2020  
(Hemant Kumar Gera)


Secretary to the Government,  
Finance (Budget)

## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

: : कार्यालय आदेश : :

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 (अधिसूचना क्रमांक एफ.5-(I) वित्त/नियम-2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017) के नियम-16 की अनुसूची-IV की टिप्पणी संख्या-4 के अनुसार "Probationer trainee shall be eligible for casual leave of 15 days in a calendar year and for period of less than a calendar year. It shall be admissible in proportion on the basis of completed months."

Calendar year जनवरी से दिसम्बर होता है। अतः उपरोक्तानुसार आकस्मिक अवकाश कलैण्डर वर्ष में ही स्वीकृत किया जा सकता है। आकस्मिक अवकाश चालू कलैण्डर वर्ष में ही स्वीकृत किया जा सकता है। कलैण्डर वर्ष समाप्ति के पश्चात् पूर्व वर्ष के बकाया आकस्मिक अवकाश लैप्स हो जाते हैं। जिन्हें पूर्व प्रभाव से स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।


  
वित्तीय सलाहकार  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक:शिविरा/माध्य/स्थिरी-अ/34848/2017

दिनांक: 22.05.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा।
3. समस्त ग्रुप / अनुभाग अधिकारी, कार्यालय हाजा।
4. वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
- ✓ 5. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. महामंत्री, राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ को उनके ज्ञापन राप्राएवं माशिस/बीका/प्रदेश/2018-19 दिनांक 11.04.2019 के क्रम में।

  
वित्तीय सलाहकार  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:शिविरा/माध्य/स्थिरी/34848/2017

दिनांक: 18.09.2019

समस्त संयुक्त निदेशक,स्कूल शिक्षा परिक्षेत्र,  
समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,  
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,(मुख्यालय)  
माध्यमिक

विषय:- परीवीक्षा अवधि में आकस्मिक अवकाश की देयता के सम्बन्ध में ।  
प्रसंग :- इस कार्यालय का पत्रांक दिनांक 04.09.2019

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/स्थिरी-अ/39848/2017 दिनांक 22.05.2019 द्वारा परीवीक्षाकाल में आकस्मिक अवकाश के सम्बन्ध में "राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 (अधिसूचना क्रमांक एफ.5-(I) वित्त/नियम-2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017) के नियम-16 की अनुसूची-IV की टिप्पणी संख्या-4 के अनुसार "Probationer trainee shall be eligible for casual leave of 15 days in a calendar year and for period of less than a calendar year. It shall be admissible in proportion on the basis of completed months." आकस्मिक अवकाश जनवरी से दिसम्बर तक की अवधि को कैलण्डर वर्ष मानकर स्वीकृत करने के निर्देश दिये गये थे ।

उक्त आदेश को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक:- शिविरा/माध्य/स्थिरी-अ/34848/2017 दिनांक: 04.09.2019 द्वारा आंशिक संशोधित किया जाकर राजस्थान सेवानियम-1951 खण्ड द्वितीय के परिशिष्ट-1 के प्रावधानानुसार संशोधित किया जाकर शैक्षिक विभागो (विश्रामकालीन विभाग) के शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए आकस्मिक अवकाश के लिए कलैण्डर वर्ष 01 जुलाई से 30 जून तक रखने का संशोधित आदेश जारी किया गया। अतः इस कार्यालय के आदेश दिनांक 22.05.2019 की अनुपालना में कार्मिको के पूर्व में स्वीकृत आकस्मिक अवकाश (राजस्थान सेवानियम-1951 खण्ड द्वितीय के परिशिष्ट-1 के प्रावधानानुसार संशोधित किया जाकर शैक्षिक विभागो (विश्रामकालीन विभाग) के शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए आकस्मिक अवकाश के लिए कलैण्डर वर्ष 01 जुलाई से 30 जून तक) को संशोधित किया गया था । अब इस कार्यालय के आदेश दिनांक 04.09.2019 द्वारा परीवीक्षाधीन कार्मिकों के 22.05.2019 के द्वारा संशोधित आदेश से पूर्व में स्वीकृत आकस्मिक अवकाश के आदेश को बहाल करने का संशोधित आदेश सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष द्वारा जारी किया जाकर प्रभावित कार्मिको को देय एरियर राशि का नियमानुसार भुगतान/वसूली की कार्यवाही Due Drawn Statement के आधार पर सुनिश्चित की जावे । इस कार्यालय के आदेश दिनांक 22.05.2019 के द्वारा स्वीकृत किये गये आकस्मिक अवकाश के प्रकरणों को दिनांक 04.09.2019 के अनुसार संशोधित किया जाकर प्रभावित कार्मिको के प्रकरणों का परीवीक्षाकाल अवधि में पूर्व में स्वीकृत अवकाशों एवं अवकाश के कारण प्रभाव को पुनरीक्षण कर देय बकाया राशि/आधिक्य भुगतान की वसूली की कार्यवाही नियमानुसार की जावे। इस आदेश की पालना के सम्बन्ध में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय/प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय अपने स्तर पर अवगत करावें ।

  
वित्तीय संलाहकार  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर

राजस्थान सरकार  
शिक्षा (सुप-2) विभाग

क्रमांक : ए. 17(2)शिक्षा-2/2008

जयपुर, दिनांक : 13.10.17

निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर।

विषय : दिनांक 20.01.2008 से पूर्व राज्य सेवा में कार्यरत कार्मिक की प्रोबेशनरी ट्रेनी के रूप में नियुक्ति पर प्रोबेशन काल में अवकाश के संबंध में मार्ग-दर्शन प्रदान करने बाबत।

संदर्भ : आपदा पत्र क्रमांक-शिक्षा/माध्य/संख्या/सी-5/पीएच  
/अर्चनाधामाई/ दिनांक 13.07.2012


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि दिनांक 20.01.2008 से पूर्व राज्य सेवा में कार्यरत कार्मिक की 'प्रोबेशनरी ट्रेनी' के रूप में नियुक्ति पर प्रोबेशन काल में अवकाश के संबंध में 'वित्त विभाग' द्वारा निम्नानुसार राय/टिप्पणी दी गई है : -

1. 'राजस्थान सेवा नियम, 1951' के नियम-122-ए के प्रावधानों के अनुसार प्रोबेशनर ट्रेनी परीक्षा अवधि में अवकाश अर्जित नहीं करेगा। अतः प्रोबेशनर ट्रेनी, जो पूर्व में राज्य सरकार की नियमित सेवा में थे, वे भी परीक्षा अवधि में अवकाश अर्जित नहीं करेंगे।
2. न्यूनियुक्त प्रोबेशनर ट्रेनी को पूर्व में राज्य सरकार की नियमित सेवा के दौरान अर्जित एवं शेष अवकाश के उपभोग करने की अनुमति दिये जाने का निर्णय सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी द्वारा लिया जावेगा।
3. पूर्व सेवा में अर्जित अवकाश का उपभोग करने की अनुमति यदि नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है, तो ऐसे अवकाश के कारण परीक्षा अवधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उक्त राय/टिप्पणी वित्त (नियम) विभाग की आई.डी. संख्या-221201306 दिनांक 12.10.2012 के द्वारा प्राप्त कर प्रदान की जा रही है।

भवदीय,

  
शासन सचिव-प्रथम

# कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पं.राज (प्रा.शि.) राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/प्रारं/शि.सं/एफ-4/पत्रा.बीएड.अनु./समस्त मं./2019/ दिनांक:- 19/06/2019

परिपत्र


विषय : परीक्षाकाल में पत्राचार से उच्च अध्ययन / बी.एड. करने की अनुमति बाबत ।

इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक शिविरा/प्रारं/संस्था /एफ-7/1285/09 दिनांक 11.04.2000, शिविरा/प्रारं/संस्था /एफ-6/परीक्षा अनुज्ञा/विविध/06/35 दिनांक 12.05.2008 तथा शिविरा/प्रारं/संस्था /एफ-6/परीक्षा अनुज्ञा/विविध/06/60 दिनांक 18.03.2013 द्वारा सार्वजनिक परीक्षा में भाग लेने व साक्षात्कार /शोध कार्य/उच्च अध्ययन/प्रशिक्षण के सम्बन्ध में अनापत्ति जारी करने के सम्बन्ध में निर्देश तथा सक्षम प्राधिकार जारी किये गये हैं।

इसी के साथ ही नव नियुक्त अध्यापको के संबंध में शासन के पत्रांक प.5(42)प्राशि/2005 जयपुर दिनांक 29.09.2005 के द्वारा यह अंकित किया है कि वित्त विभाग की राय के अनुसार राजस्थान सेवा नियम 96(बी) के तहत अस्थायी राज्य कर्मचारी जिसकी निरन्तर सेवा में 3 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है, को निरन्तरता में 90 से अधिक असाधारण अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। अतः ऐसे नवनियुक्त कर्मचारी को अध्ययन पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

परीक्षाकाल में पत्राचार से उच्च अध्ययन/बी.एड करने की अनुमति बाबत प्रकरणों के संबंध में शासन उप सचिव, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, जयपुर के पत्रांक प.5(25)प्रा.शि./2019 दिनांक 04.06.2019 के क्रम में विभाग द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि ऐसे प्रकरणों में अनुमति निम्नलिखित शर्तों के तहत दी जा सकेगी :-


1. परीक्षाकाल में पत्राचार से उच्च अध्ययन/बी.एड करने की अनुमति उन्ही अध्यापको को दी जा सकेगी जिनके परीक्षा कार्यक्रम/ सम्पर्क कार्यक्रम शिविरा पंचांग में निर्धारित मध्याह्नि अवकाश, शीतकालीन अवकाश और ग्रीष्मकालीन अवकाश के दिनों में ही आयोजित होंगे।
2. परीक्षाकाल में पत्राचार से उच्च अध्ययन/बी.एड करने वाले कर्मिक को विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अध्ययन अवकाश देय नहीं होगा।
3. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि विद्यालय समय के समान ही हो तो स्वीकृति नहीं दी जा सकेगी।
4. प्रत्येक वर्ष हेतु अलग-अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
5. प्रशासनिक कारणवश स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकेगी।
6. यह स्वीकृति पूर्व के परिपत्रों में दिये गये निर्देशों के क्रम में अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा नहीं दी जावेगी अपितु अंकित शर्तों को पूर्ण करने वाले प्रकरण, प्रार्थी से सहमति का शपथ पत्र प्राप्त कर अपनी स्पष्ट अभिशंथा सहित निदेशालय को भिजवाये जाने पर परीक्षण के आधार पर इस कार्यालय द्वारा जारी की जा सकेगी।

  
निदेशक

प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं पंराज  
(प्रारं. शिक्षा) विभाग, राजस्थान,  
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन उपसचिव प्रारंभिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल शिक्षा समस्त।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्राशि समस्त।
4. प्रभारी सूचना सहायक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

  
निदेशक

प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं पंराज  
(प्रारं. शिक्षा) विभाग, राजस्थान,  
बीकानेर

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN  
FINANCE DEPARTMENT  
(RULES DIVISION)**

**NOTIFICATION**


**o. F. 1(6)FD/Rules/2011**

**Jaipur, dated : 15 FEB 2012**

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor hereby notifies following rules further to amend the Rajasthan Service Rules, 1951, namely:-

1. These rules may be called the Rajasthan Service (Amendment) Rules, 2012
2. These rules shall come into force with immediate effect.
3. In the said rules - the existing Rule 103A shall be substituted by the following, namely:-
  - 122A (i) Probationer-trainees shall earn no leave during the period of probation.
  - (ii) Female probationer-trainees shall be granted maternity leave as per rule 103 and 104
  - (iii) Male probationer-trainees shall be granted paternity leave as per rule 103A.

**By Order of the Governor,**


  
**(Akhil Arora)**  
**Secretary to the Government**  
**Finance (Budget)**

Copy forwarded to -

- Principal Secretary to H.E. Governor.
- Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister.
- All Special Assistants / Private Secretaries to Ministers / State Ministers.
- All Additional Chief Secretaries/ Principal Secretaries/Secretaries/Special Secretaries to the Government.
- D.S. to Chief Secretary.
- Accountant General Rajasthan, Jaipur (200 copies).
- All Heads of the Departments.
- Director, Treasuries & Accounts, Rajasthan, Jaipur with 100 spare copies for sending to all Sub-Treasury Officers.
- Director, Pension & Pensioners' Welfare Department, Rajasthan, Jaipur.
- Deputy Director (Statistics), Chief Ministers' Office.
- All Treasury Officers.
- All Sections of the Secretariat.
- Administrative Reforms (Gr.7) with 7 copies.
- Vidhi Rachana Sanghathan, for Hindi translation.
- System Analyst (Joint Director) Finance Department (Computer Cell).

Copy also to the -

- Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur with 20 extra copies for Subordinate Legislative Committees.
- Registrar General, Rajasthan High Court, Jodhpur / Jaipur.
- Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Ajmer.
- Secretary, Lokayukta Sachivalaya, Rajasthan, Jaipur.

  
**(D.K. Mittal)**  
**Officer on Special Duty**

(RSR - 04 / 2012)

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-2) विभाग

सं. एफ. 7(1)डीओपी/ए-2/2020

जयपुर, दिनांक : 4.02.2022

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, इसमें संलग्न अनुसूची में यथोल्लिखित विभिन्न सेवा नियमों को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विभिन्न सेवा (संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये 20.01.2006 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. संशोधन.- इसमें संलग्न अनुसूची के स्तंभ संख्यांक 2 में यथोल्लिखित प्रत्येक सेवा नियम के सामने, स्तंभ संख्यांक 3 में यथोल्लिखित "कतिपय मामलों में स्थायीकरण" से संबंधित नियम के विद्यमान उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(1) पूर्ववर्ती नियम में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, सेवा में किसी पद पर, इन नियमों के अधीन सीधी भर्ती द्वारा परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्त हुए किसी व्यक्ति को, परिवीक्षा की दो वर्ष की कालावधि की सफलतापूर्वक समाप्ति पर छह माह के भीतर स्थायी नहीं किया गया हो तो वह अपनी वरिष्ठता के अनुसार स्थायी माने जाने का हकदार होगा/होगी यदि,-

(i) उसने एक ही नियुक्ति प्राधिकारी के अधीन उस पद पर या उच्चतर पद पर कार्य किया हो या इस प्रकार कार्य करता/करती यदि वह प्रतिनियुक्ति या प्रशिक्षण पर नहीं होता/होती;

(ii) वह इन नियमों के अधीन विहित कोटा के अध्यक्षीन रहते हुए, स्थायीकरण से संबंधित नियम के अधीन विहित शर्तें पूरी करता/करती हो; और

(iii) वह किसी अधिष्ठायी रिक्ति के प्रति नियुक्त किया गया/गयी है।”

6/2/22

अनुसूची

क्र.सं.	सेवा नियमों का नाम	नियम का संख्यांक
1	2	3
1.	राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954	34क
2.	राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954	34क
3.	राजस्थान लेखा सेवा नियम, 1954	33क
4.	राजस्थान रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प निरीक्षक सेवा नियम, 1954	28क
5.	राजस्थान अभियंता सेवा (विद्युत एवं यांत्रिक शाखा) नियम, 1954	29क
6.	राजस्थान अभियंता और अनुसंधान अधिकारी सेवा (सिंचाई शाखा) नियम, 1954	29क
7.	राजस्थान अभियंता सेवा (भवन एवं पथ शाखा) नियम, 1954	29क
8.	राजस्थान सहकारी सेवा नियम, 1954	29(क)
9.	राजस्थान मोटर गैराज सेवा नियम, 1958	27क
10.	राजस्थान श्रम एवं कल्याण सेवा नियम, 1958	27क
11.	राजस्थान आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा नियम, 1958	32क
12.	राजस्थान फैक्टरी और बायलर निरीक्षक और फैक्टरी (रसायन) निरीक्षक सेवा नियम, 1958	30क
13.	राजस्थान कारागार सेवा नियम, 1959	28क
14.	राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि सेवा नियम, 1959	30क
15.	राजस्थान राजकीय मुद्रणालय सेवा नियम, 1960	33क
16.	राजस्थान नियोजन कार्यालय सेवा नियम, 1960	28क
17.	राजस्थान खान एवं भू-गर्भ सेवा नियम, 1960	28क
18.	राजस्थान कृषि सेवा नियम, 1960	30क
19.	राजस्थान उद्योग सेवा नियम, 1960	27क
20.	राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय सेवा नियम, 1960	28क
21.	राजस्थान उद्यान कृषि सेवा नियम, 1962	25क
22.	राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962	26(क)

*Handwritten signature*

23.	राजस्थान वन सेवा नियम, 1962	36क
24.	राजस्थान पशुपालन सेवा नियम, 1963	28क
25.	राजस्थान समाज कल्याण सेवा नियम, 1963	29क
26.	राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963	28क
27.	राजस्थान जनसंपर्क सेवा नियम, 1966	30(क)
28.	राजस्थान नगर नियोजन सेवा नियम, 1966	29क
29.	राजस्थान प्राच्यविद्या अनुसंधान संस्थान सेवा नियम, 1967	30क
30.	राजस्थान आबकारी (निवारक अधिकारी) सेवा नियम, 1967	23क
31.	राजस्थान अभियंता सेवा और सहबद्ध पद (जन स्वास्थ्य शाखा) नियम, 1968	30क
32.	राजस्थान भू-जल सेवा नियम, 1969	29क
33.	राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा नियम, 1971	22क
34.	राजस्थान स्थापत्य सेवा लो.नि.वि. (भ.एवं स.) नियम, 1973	30क
35.	राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम, 1973	28क
36.	राजस्थान आबकारी सेवा (सामान्य शाखा) नियम, 1974	19
37.	राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण सेवा नियम, 1975	29
38.	राजस्थान पुरालेख सेवा नियम, 1975	30क
39.	राजस्थान अभियांत्रिकी सेवा (विद्युत निरीक्षणालय शाखा) नियम, 1975	29
40.	राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद सेवा नियम, 1976	28
41.	राजस्थान पर्यटन सेवा नियम, 1976	28
42.	राजस्थान होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा सेवा नियम, 1976	28
43.	राजस्थान अभियोजन सेवा नियम, 1978	14
44.	राजस्थान मूल्यांकन सेवा नियम, 1979	30
45.	राजस्थान पुलिस न्याय संबंधी विज्ञान सेवा नियम, 1979	29
46.	राजस्थान राज्य उपक्रम सेवा नियम, 1979	29
47.	राजस्थान परिवहन सेवा नियम, 1979	29
48.	राजस्थान पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण सेवा	14

*[Handwritten signature]*

	(महाविद्यालय शाखा) नियम, 1980	
49.	राजस्थान जिला गजेटियर्स सेवा नियम, 1980	29
50.	राजस्थान विधिक राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1981	33
51.	राजस्थान विधि रचना राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1981	33
52.	राजस्थान राज्य कृषि विपणन सेवा नियम, 1986	29
53.	राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान सेवा नियम, 1990	14
54.	राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992	36
55.	राजस्थान सचिवालय पुस्तकालयाध्यक्ष राज्य एवं अधीनस्थ नियम, 1997	32
56.	राजस्थान ग्रामीण विकास और पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1998	34
57.	राजस्थान एकीकृत बाल विकास राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 1998	35
58.	राजस्थान देवस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 2000	34
59.	राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 2001	33
60.	राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियम, 2007	33
61.	राजस्थान ग्रामीण आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम, 2008	36
62.	राजस्थान तकनीकी शिक्षा (गैर-अभियांत्रिकी) सेवा नियम, 2010	34
63.	राजस्थान तकनीकी शिक्षा (अभियांत्रिकी) सेवा नियम, 2010	35
64.	राजस्थान पेट्रोलियम राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 2012	36
65.	राजस्थान मत्स्य राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 2012	36
66.	राजस्थान भाषा एवं पुस्तकालय (राज्य और अधीनस्थ) सेवा नियम, 2013	37
67.	राजस्थान नागरिक उड्डयन राज्य सेवा नियम, 2013	37
68.	राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ (विद्यालय शाखा) नियम, 2015	37
69.	राजस्थान आबकारी प्रयोगशाला (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2015	36

*Shy*

70.	राजस्थान महिला अधिकारिता (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2017	38
71.	राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2017	39
72.	राजस्थान जैव-ईंधन (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2019	37
73.	राजस्थान विश्राम भवन (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2019	39
74.	राजस्थान विज्ञान एवं तकनीकी (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021	38
75.	राजस्थान शिक्षा(राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021	38
76.	राजस्थान अधीनस्थ सहकारी सेवा (श्रेणी-1) नियम, 1955	32क
77.	राजस्थान तहसीलदार सेवा नियम, 1956	34क
78.	राजस्थान खान एवं भू-गर्भ अधीनस्थ सेवा नियम, 1960	29क
79.	राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963	32क
80.	राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम, 1963	28क
81.	राजस्थान परिवहन अधीनस्थ सेवा नियम, 1963	29क
82.	राजस्थान उद्यान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम, 1965	29क
83.	राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965	29क
84.	राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम, 1966	31क
85.	राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम, 1966	30क
86.	राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (जन स्वास्थ्य शाखा) नियम, 1967	29क
87.	राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (सिंचाई शाखा) नियम, 1967	29क
88.	राजस्थान पुरालेख अधीनस्थ सेवा नियम, 1968	30क
89.	राजस्थान सांख्यिकी अधीनस्थ सेवा नियम, 1971	29क
90.	राजस्थान राजकीय मुद्रणालय अधीनस्थ सेवा नियम, 1973	29
91.	राजस्थान तकनीकी शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1973	28क
92.	राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी (भवन एवं पथ शाखा) सेवा नियम, 1973	28


*Shy*

93.	राजस्थान भू-जल अधीनस्थ सेवा नियम, 1973	28(क)
94.	राजस्थान नगर नियोजन अधीनस्थ सेवा नियम, 1974	28
95.	राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा नियम, 1974	28
96.	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (सामान्य शाखा) नियम, 1974	29
97.	राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण अधीनस्थ सेवा नियम, 1975	29
98.	राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा (सामान्य शाखा) नियम, 1975	29(क)
99.	राजस्थान जनसंपर्क अधीनस्थ सेवा नियम, 1975	28
100.	राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा नियम, 1975	33(क)
101.	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (निवारक शाखा) नियम, 1976	28
102.	राजस्थान राज्य उपक्रम अधीनस्थ सेवा नियम, 1976	28
103.	राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम, 1977	27(क)
104.	राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम, 1978	28
105.	राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा नियम, 1978	29
106.	राजस्थान मोटर गैराज अधीनस्थ सेवा नियम, 1979	29
107.	राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1979	29
108.	राजस्थान पुलिस न्याय संबंधी विज्ञान अधीनस्थ सेवा नियम, 1980	28
109.	राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2001	41
110.	राजस्थान ग्रामीण आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम, 2008	34
111.	राजस्थान विद्यालय सहायक अधीनस्थ सेवा नियम, 2015	34
112.	राजस्थान मदरसा शिक्षा सहायक अधीनस्थ सेवा नियम, 2013	33
113.	राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014	14
114.	राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015	44
115.	राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (विद्युत निरीक्षणालय शाखा) नियम, 2020	35

*Shw*

116.	राजस्थान होम गार्ड अधीनस्थ सेवा नियम, 2021	44
117.	राजस्थान सचिवालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1970	30क
118.	राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999	39
119.	राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1999	31

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

  
(जय सिंह)

संयुक्त शासन सचिव

10/2022



बहनों/भाईयों शिक्षा विभाग में नव नियुक्ति पर बधाई। आगे नियुक्त होने वालों को अग्रिम बधाई।

आपका दो वर्ष प्रोबेशन काल रहेगा। सफलता से प्रोबेशन पूर्ण करने पर स्थाईकरण (नियमितकरण) होगा। इसके बाद पद का पूरा वेतन मिलना शुरू होगा।

दो वर्ष प्रोबेशन में लिए गये अवकाश की जांच कर नियमानुसार सही होने पर ही वेतन नियमितकरण होता है।

वित्त विभाग के नोटिफिकेशन F.15(1)FD/Rules/2017 Jaipur Dated 30 October 2017 Schedule IV (Rule No 16) पेज 63 पर बिन्दू 1 अनुसार प्रोबेशन में निश्चित मानदेय मिलेगा।

नव नियुक्ति से पहले कोई किसी राजकीय सेवा में स्थाई रहा है, वो प्रोबेशन में पूर्व के पद का वेतन या नव नियुक्त पद का निश्चित मानदेय जो उचित लगे ले सकता है। आदेश 30 October 2017 के Schedule IV (Rule No 16) पेज 64 पर बिन्दू 6

प्रोबेशनर ट्रेनी को एक कलैण्डर वर्ष में 15 सीएल मिलेगी। आदेश 30 October 2017 के Schedule IV (Rule No 16) पेज 63 पर बिन्दू 4

कलैण्डर स्कूलों के लिए जुलाई से जून रहेगा। वित्तीय सलाहकार माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा 4 सितम्बर 2019 को आदेश जारी कर स्पष्ट किया गया है कि स्कूलों में प्रोबेशन पर कार्यरत शैक्षिक स्टाफ के लिए सीएल गणना कलैण्डर जुलाई से जून रहेगा। जुलाई के बाद जोड़ने करने वालों को एक महिने की सवा सीएल मिलेगी। प्रतिमाह सीएल का उपभोग नहीं करने पर जमा होती रहेगी। शिविरा कलैण्डर अनुसार 30 जून को जमा सी.एल लैप्स होगी। फिर एक जुलाई से प्रतिमाह सवा सीएल मिलेगी।

बिन्दू 7 (i) अनुसार प्रोबेशन काल में पीएल और एचपीएल (हाफ पे लीव) अर्न (जमा) नहीं होती है। लेकिन प्रोबेशन से पूर्व की सेवा की पीएल और एचपीएल सेवा पुस्तिका में जमा (बकाया) है। वह राजस्थान सरकार शिक्षा (गुप-2) विभाग के शासन उप सचिव के हस्ताक्षर से जारी पत्र प.17(2) शिक्षा-2/2008 जयपुर दिनांक 18-10-12 के तहत खाते में जमा पीएल तथा एचपीएल का उपभोग प्रोबेशन काल में कर सकता है। इससे प्रोबेशन आगे नहीं सरकेगा।

बिन्दू 7 (ii) अनुसार प्रोबेशन काल में महिला को प्रसूति अवकाश देय होगा। प्रसूति अवकाश में पूरा वेतन मिलता है इसलिए प्रोबेशन आगे नहीं सरकेगा।

बिन्दू 7 (iii) प्रोबेशन काल में पुरुष को पितृत्व अवकाश देय होगा। पितृत्व अवकाश में पूरा वेतन मिलता है। इसलिए प्रोबेशन आगे नहीं सरकेगा।

2 वर्ष प्रोबेशन काल में महिला कार्मिक को चाईल्ड केयर लीव सामान्य परिस्थिति में देय नहीं होगी। यदि विशेष परिस्थितियों में स्वीकृत की जाती है तो इससे प्रोबेशन आगे सरकेगा। (नोटिफिकेशन F.1(6)FD/Rules/2011 Jaipur Dated 22 MAY 2018)

प्रोबेशन में 90 असाधारण अवकाश (विदाऊट पे) लिए जा सकते हैं। Schedule IV (Rule No 16) बिन्दू 8 (संशोधित नोटिफिकेशन F.15(1)FD/Rules/2017 Jaipur Dated 25 SEP 2018) लेकिन नोटिफिकेशन F.1 (2)FD/Rules/2006 Pt-I Jaipur Dated 7 AUG 2014 एवं F.1(2)FD/Rules/2006 -I Jaipur Dated 8 AUG 2019 के तहत इसमें से केवल एक माह (30 दिन) तक प्रोबेशन आगे नहीं सरकता है। शेष 60 दिन प्रोबेशन आगे सरकता है। इसी आदेश 08-08-2019 से असाधारण अवकाश में अनेक शर्तें लगाकर एक माह की स्वीकृति नियुक्ति अधिकारी द्वारा और अधिक की प्रशासनिक विभाग द्वारा करने का प्रावधान किया गया है।

नियमानुसार ही अवकाश लेवें ताकि 2 वर्ष बाद स्थाईकरण - वेतन नियमितकरण के समय बाधा नहीं रहे।

सुविधा के लिये शिक्षा विभाग के आदेश संलग्न है। राज्य के वित्त विभाग के आदेश वित्त विभाग की वैबसाईट पर भी उपलब्ध है। इनके प्रिन्ट निकलवाकर स्कूलों और संगठन कार्यालयों में सुरक्षित रखें। सभी को जानकारी दें।

संगठन से स्नेह बनाये रखें।

आपका विश्वासी

(महेन्द्र पाण्डे)  
महामन्त्री

राजस्थान सरकार  
शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : ए. 17(2)शिक्षा-2/2008

जयपुर, दिनांक 14.10.12

निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर।

विषय : दिनांक 20.01.2008 से पूर्व राज्य सेवा में कार्यरत कार्मिक की प्रोबेशनरी ट्रेनी के रूप में नियुक्ति पर प्रोबेशन काल में अवकाश के संबंध में मार्ग-दर्शन प्रदान करने बाबत।

संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक-सिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/पीएच  
/अर्धमासाई/ दिनांक 13.07.2012

महोदय,

उपरोक्त दिवसान्तर्गत संयमित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि दिनांक 20.01.2008 से पूर्व राज्य सेवा में कार्यरत कार्मिक की 'प्रोबेशनरी ट्रेनी' के रूप में नियुक्ति पर प्रोबेशन काल में अवकाश के संबंध में 'वित्त विभाग' द्वारा निम्नानुसार राय/टिप्पणी दी गई है : -

1. 'राजस्थान सेवा नियम, 1951' के नियम-122-ए के प्राधान्यों के अनुसार प्रोबेशनरी ट्रेनी परीक्षा अवधि में अवकाश अर्जित नहीं करेगा। अतः प्रोबेशनरी ट्रेनी, जो पूर्व में राज्य सरकार की नियमित सेवा में थे, वे भी परीक्षा अवधि में अवकाश अर्जित नहीं करेंगे।
2. न्यूनियुक्त प्रोबेशनरी ट्रेनी को पूर्व में राज्य सरकार की नियमित सेवा के दौरान अर्जित एवं शेष अवकाश के उपयोग करने की अनुमति दिये जाने का निर्णय सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी द्वारा लिया जावेगा।
3. पूर्व सेवा में अर्जित अवकाश का उपयोग करने की अनुमति यदि नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है, तो ऐसे अवकाश के कारण परीक्षा अवधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उक्त राय/टिप्पणी वित्त (नियम) विभाग की आई.डी. संख्या-221201396 दिनांक 12.10.2012 के द्वारा प्राप्त कर प्रदान की जा रही है।

भवदीय,

शारदा उपा  
सचिव-प्रथम

# प्रोबेशन में शिक्षकों की CL गणना जुलाई से जून तक

## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

: : संशोधित कार्यालय आदेश : :

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक: शिविरा/माध्य/स्थिरी-अ/34848/2017 दिनांक 22.05.2019 के द्वारा परीवीक्षाकाल में आकस्मिक अवकाश के सम्बन्ध में निम्नानुसार आदेश जारी किये गये थे :-

"राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 (अधिसूचना क्रमांक एफ.5-(1) वित्त/नियम-2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017) के नियम-16 की अनुसूची-IV की टिप्पणी संख्या-4 के अनुसार "Probationer trainee shall be eligible for casual leave of 15 days in a calendar year and for period of less than a calendar year. It shall be admissible in proportion on the basis of completed months." आकस्मिक अवकाश जनवरी से दिसम्बर तक की अवधि को कैलण्डर वर्ष मानकर स्वीकृत करने के निर्देश दिये गये थे । उक्त आदेश को राजस्थान सेवानियम-1951 खण्ड द्वितीय के परिशिष्ट-1 के प्रावधानानुसार संशोधित किया जाकर शैक्षिक विभागो (विश्रामकालीन विभाग) के शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए आकस्मिक अवकाश के लिए कैलण्डर वर्ष 01 जुलाई से 30 जून तक रहेगा ।

विभाग में कार्यरत परीवीक्षाधीन शिक्षको एवं नियमित शिक्षको के लिए वर्ष के सम्बन्ध में राजस्थान सेवानियम-1951 खण्ड द्वितीय के परिशिष्ट.1 के तत्सम्बन्धी प्रावधान समान रूप से लागू है ।

वित्तीय सलाहकार  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/स्थिरी-अ/34848/2017

दिनांक: 04.09.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा ।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा ।
3. समस्त ग्रुप / अनुभाग अधिकारी, कार्यालय हाजा ।
4. वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ ।
5. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।

वित्तीय सलाहकार  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा शिक्षक जानकारी के लिए प्रसारित

**Schedule IV**  
(Rule No. 16)

**AMOUNT OF FIXED REMUNERATION FOR PROBATIONER-TRAINEE**

S.No.	Existing Grade Pay	Existing Grade Pay No.	Existing Amount of Fixed Remuneration	Corresponding Level	Amount of Fixed Remuneration per month with effect from 01.10.2017	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1	1700	2	6670	L-1	12400	
2	1750	3	7000	L-2	12600	
3	1900	4	7400	L-3	12800	
4	2000	5	7790	L-4	13500	
5	2400	9	8910	L-5	14600	
6	2400	9A	8910	L-6	15100	
7	2400	9B	8910	L-7	15700	
8	2800	10	11820	L-8	18500	
9	2800	10A	11820	L-9	20100	
10	3600	11	13200	L-10	23700	
11	4200	12	14660	L-11	26500	
12	4800	14	17230	L-12	31100	
13	5400	15	22180	L-14	39300	
14	6000	16	24030	L-15	42500	
15	6600	17	26670	L-16	47200	
16	6800	18	28120	L-17	49700	
17	7200	19	29840	L-18	52800	
18	7600	20	31620	L-19	56000	
19	8200	21	35180	L-20	62300	
20	8700	22	48710	L-21	86200	
21	8900	23	51350	L-22	90800	
22	9500	23A	54120	L-23	102100	
23	10000	24	57820	L-24	104200	

**Note:-**

1. The Probationer-trainee shall be entitled only to fixed remuneration as above and he/she will not be entitled to Special Pay, Dearness Allowance, House Rent Allowance, City Compensatory Allowance, Non-Practicing Allowance, Non-Clinical Allowance, Mess Allowance, Washing Allowance or any other allowance(s) called by whatever name. Similarly, he/she will not be eligible for grant of Ad-hoc Bonus and uniform/liveries except wearing of uniform is a legal compulsion under the rules.
2. No Travelling Allowance shall be admissible for joining as a probationer-trainee. In case journey on duty, he/she shall be allowed T.A. as on tour and in case of transfer only Mileage Allowance on the basis of fixed remuneration shall be admissible. In case of transfer only the actual period required for travel will be treated as on duty.
3. No deduction towards General Provident Fund and State Insurance shall be made from the fixed remuneration.
4. Probationer-trainee shall be eligible for Casual Leave of 15 days in a calendar year and for period of less than a calendar year, it shall be admissible in proportion on the basis of completed months.
5. No Deputation Allowance shall be admissible to a Probationer-trainee, if, deputed to 'Foreign Service' for training etc.

*D.S.*

6. An existing employee already in regular service shall have an option to opt either for the "Fixed remuneration" or the Pay in the Level in the Pay Matrix (not the Level of his/her new appointment), whichever is beneficial to him/her while he/she is under probation. After successful completion of probation period, Pay shall be fixed as per the rules, where such a Government servant will get due advantage of being in a regular Level earlier, and will get due protection of his/her pay.
7. (i) Probationer-trainee shall earn no leave during the period of probation.  
(ii) Female Probationer-trainee shall be granted Maternity Leave as per Rule 103 and 104 of Rajasthan Service Rules, 1951  
(iii) Male Probationer- trainee shall be granted Paternity Leave as per Rule 103A of Rajasthan Service Rules, 1951
8. Extraordinary Leave upto 30 days may be sanctioned by the appointing authority to a Probationer-trainee during the entire period of Probation Training. Beyond 30 days and not more than one year by the appointment authority after prior approval of Administrative Department.
9. Grant of Medical Attendance Allowance Rs 17400/- (including hard duty allowance etc. if any) during the probation period in addition to fixed remuneration to newly appointed Medical Officer.
10. Mediclaim Insurance coverage for the Probationer-trainee during the period of probation shall be applicable, as applicable to Government servants.
11. Contribution towards New Pension Scheme (NPS) @ 10% of fixed remuneration shall be made by the Probationer-trainee and employer both.



Under no circumstance can any female Government servant proceed on Child Care Leave without prior approval of the leave sanctioning authority.

- (v) Child Care Leave shall not be granted under any circumstances to a female Government servant, who remains on an unauthorised absence from duty and applies for it thereafter.
- (vi) Leave already availed or being availed of by a female Government servant shall, under no circumstances, be converted into Child Care Leave.
- (vii) Child Care Leave shall not be debited against any other kind of leave account. The leave account of Child Care Leave shall be maintained in the form specified by the State Government, from time to time and it shall be pasted in the service book.
- (viii) Leave sanctioning authority can deny the leave applied for on the ground of proper and smooth functioning of Government work or achievement of departmental targets.
- (ix) It shall not be granted for more than three spells in a calendar year. A spell, which begins during a calendar year and ends in the next calendar year, shall be deemed as a spell pertaining to the calendar year in which the spell begins.
- (x) It shall ordinarily not be granted to a Probationer trainee during the probation period. However, in special circumstances if the leave is granted during the probation period then the probation period shall be extended by the period equivalent to the period for which the leave has been granted.
- (xi) The leave is to be treated like the Privilege Leave and sanctioned as such.
- (xii) Sunday and holiday can be prefixed or suffixed to Child Care Leave. Consequently, Sunday, Gazetted holiday(s) or any other holiday(s) notified by the Government falling during the period of leave would also count for Child Care

# प्रोबेशन में एक्सट्रा ऑर्डनरी लीव - स्वीकृति अधिकारी

GOVERNMENT OF RAJASTHAN  
FINANCE DEPARTMENT  
(RULES DIVISION)

## MEMORANDUM

No. F. 1(2)FD/Rules/2006-1

Jaipur, dated : 8 AUG 2019


**Sub:- Regarding successful completion of period of probation by probationer-trainees and grant of pay in the pay scale / running pay band of the post.**

In partial modification of Finance Department Memorandum of even number dated 11.06.2014, powers are delegated for grant of extraordinary leave to probationer trainee in place of existing provisions contained in para 2 and 3 of aforesaid Memorandum as under:-

S. No	Period of Extraordinary Leave	Authority competent to grant EoL
1	Upto one month	Appointing authority
2	Beyond one month in exceptional and unavoidable circumstances	Administrative Department

The powers for grant of extraordinary leave to probationer trainee shall be subject to observation of following guidelines:-

1. Prior sanction of extraordinary leave shall be pre-requisite in all such cases.
2. Those who proceed on extraordinary leave without prior sanction shall be treated as cases of wilful absence and liable to disciplinary action.
3. In case of extraordinary leave applied for critical illness of self, wife/husband, mother, father and children, extraordinary leave can be sanctioned on the basis of certificate of authorized medical attendant.
4. Extraordinary leave shall be granted in exceptional and unavoidable circumstances, related to medical urgency.
5. No extraordinary leave be sanctioned for study purpose and for preparing competitive examination.
6. If anyone remains absent without getting prior sanction for extraordinary leave or in cases where absence is due to higher study / preparing for competitive examination, the period of absence shall be treated as dies non and the same shall not be countable for any purpose.
7. In all cases where extraordinary leave period is exceeding one month, the probation period shall be extended for the entire period of extraordinary leave.

  
(Manju Rajpal)

Secretary to the Government,  
Finance (Budget)


मित्रों सरकार द्वारा प्रोबेशन में एक्सट्रा ऑर्डनरी लीव स्वीकृति के लिए अधिकारी का स्पष्टीकरण जारी करने के साथ ही लीव स्वीकृति की शर्तों को कठोर कर दिया गया है- महेन्द्र पाण्डे महामंत्री राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ।

## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

: : कार्यालय आदेश : :

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 (अधिसूचना क्रमांक एफ.5-(I) वित्त/नियम-2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017) के नियम-16 की अनुसूची-IV की टिप्पणी संख्या-4 के अनुसार "Probationer trainee shall be eligible for casual leave of 15 days in a calendar year and for period of less than a calendar year. It shall be admissible in proportion on the basis of completed months."

Calendar year जनवरी से दिसम्बर होता है। अतः उपरोक्तानुसार आकस्मिक अवकाश कलैण्डर वर्ष में ही स्वीकृत किया जा सकता है। आकस्मिक अवकाश चालू कलैण्डर वर्ष में ही स्वीकृत किया जा सकता है। कलैण्डर वर्ष समाप्ति के पश्चात् पूर्व वर्ष के बकाया आकस्मिक अवकाश लैप्स हो जाते हैं। जिन्हें पूर्व प्रभाव से स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।


  
वित्तीय सलाहकार  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक:शिविरा/माध्य/स्थिरी-अ/34848/2017

दिनांक: 22.05.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा।
3. समस्त ग्रुप / अनुभाग अधिकारी, कार्यालय हाजा।
4. वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
- ✓ 5. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. महामंत्री, राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ को उनके ज्ञापन राप्राएवं माशिसं/बीका/प्रदेश/2018-19 दिनांक 11.04.2019 के क्रम में।

  
वित्तीय सलाहकार  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:शिविरा/माध्य/स्थिरी/34848/2017

दिनांक: 18.09.2019

समस्त संयुक्त निदेशक,स्कूल शिक्षा परिक्षेत्र,  
समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,  
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,(मुख्यालय)  
माध्यमिक

विषय:- परीवीक्षा अवधि में आकस्मिक अवकाश की देयता के सम्बन्ध में ।  
प्रसंग :- इस कार्यालय का पत्रांक दिनांक 04.09.2019

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/स्थिरी-अ/39848/2017 दिनांक 22.05.2019 द्वारा परीवीक्षाकाल में आकस्मिक अवकाश के सम्बन्ध में "राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 (अधिसूचना क्रमांक एफ.5-(I) वित्त/नियम-2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017) के नियम-16 की अनुसूची-IV की टिप्पणी संख्या-4 के अनुसार "Probationer trainee shall be eligible for casual leave of 15 days in a calendar year and for period of less than a calendar year. It shall be admissible in proportion on the basis of completed months." आकस्मिक अवकाश जनवरी से दिसम्बर तक की अवधि को कैलण्डर वर्ष मानकर स्वीकृत करने के निर्देश दिये गये थे ।

उक्त आदेश को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक:- शिविरा/माध्य/स्थिरी-अ/34848/2017 दिनांक: 04.09.2019 द्वारा आंशिक संशोधित किया जाकर राजस्थान सेवानियम-1951 खण्ड द्वितीय के परिशिष्ट-1 के प्रावधानानुसार संशोधित किया जाकर शैक्षिक विभागो (विश्रामकालीन विभाग) के शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए आकस्मिक अवकाश के लिए कलैण्डर वर्ष 01 जुलाई से 30 जून तक रखने का संशोधित आदेश जारी किया गया। अतः इस कार्यालय के आदेश दिनांक 22.05.2019 की अनुपालना में कार्मिको के पूर्व में स्वीकृत आकस्मिक अवकाश (राजस्थान सेवानियम-1951 खण्ड द्वितीय के परिशिष्ट-1 के प्रावधानानुसार संशोधित किया जाकर शैक्षिक विभागो (विश्रामकालीन विभाग) के शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए आकस्मिक अवकाश के लिए कलैण्डर वर्ष 01 जुलाई से 30 जून तक) को संशोधित किया गया था । अब इस कार्यालय के आदेश दिनांक 04.09.2019 द्वारा परीवीक्षाधीन कार्मिकों के 22.05.2019 के द्वारा संशोधित आदेश से पूर्व में स्वीकृत आकस्मिक अवकाश के आदेश को बहाल करने का संशोधित आदेश सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष द्वारा जारी किया जाकर प्रभावित कार्मिको को देय एरियर राशि का नियमानुसार भुगतान/वसूली की कार्यवाही Due Drawn Statement के आधार पर सुनिश्चित की जावे । इस कार्यालय के आदेश दिनांक 22.05.2019 के द्वारा स्वीकृत किये गये आकस्मिक अवकाश के प्रकरणों को दिनांक 04.09.2019 के अनुसार संशोधित किया जाकर प्रभावित कार्मिको के प्रकरणों का परीवीक्षाकाल अवधि में पूर्व में स्वीकृत अवकाशों एवं अवकाश के कारण प्रभाव को पुनरीक्षण कर देय बकाया राशि/आधिक्य भुगतान की वसूली की कार्यवाही नियमानुसार की जावे। इस आदेश की पालना के सम्बन्ध में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय/प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय अपने स्तर पर अवगत करावें ।

  
वित्तीय संलाहकार  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर

## प्रोबेशन में अवैतनिक अवकाश लेने से प्रोबेशन आगे बढ़ने बाबत आवश्यक जानकारी



1👉 11/06/14 से पहले 90 दिन अवैतनिक ले सकते थे। प्रोबेशन आगे नहीं बढ़ेगा।

2👉 11/06/14 और इससे आगे 07/08/19 तक एक माह से अधिक अवैतनिक अवकाश पर रहने पर एक माह से जितना ज्यादा उतना प्रोबेशन आगे बढ़ेगा।

उदाहरण👉 इस अवधि में 33 दिन अवैतनिक पर 3 दिन प्रोबेशन आगे बढ़ेगा।

3👉 08/08/2019 से 30 दिन से अधिक अवैतनिक अवकाश लेने पर प्रोबेशन में कुल जितना अवैतनिक अवकाश लिया है उतना ही पूर्ण अवधि के लिए प्रोबेशन बढ़ेगा।

उदाहरण👉 08/08/2019 के बाद प्रोबेशन अवधि में 33 दिन अवैतनिक अवकाश लिया है तो प्रोबेशन 33 दिन आगे बढ़ेगा। वर्तमान में यही नियम प्रचलित में है।

नोट:-(1) वर्तमान नियमानुसार प्रोबेशन में 30 दिन तक का अवैतनिक अवकाश लेने पर प्रोबेशन आगे नहीं बढ़ता है।

(2) वर्तमान में प्रोबेशन में अवैतनिक अवकाश स्वयं या परिवार के किसी सदस्य के बीमारी पर Dr के प्रमाण पत्र के आधार पर ही स्वीकृत होता है।

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN  
FINANCE DEPARTMENT  
(RULES DIVISION)**

F.1(2)FD/Rules/2008 Pt-I

Jaipur, dated:

08 JAN 2020

**MEMORANDUM**

**Subject :- Regarding successful completion of period of probation by probationer-trainee and grant of pay in the pay scale / running pay band of the post.**

In partial modification of Finance Department memorandum of even Number dated 11.06.2014, powers are delegated for grant of extraordinary leave to probationer trainee in place of existing provisions contained in para 2 and 3 of aforesaid Memorandum as under:-

s. No	Period of Extraordinary Leave	Authority competent to grant EoL
1	Upto one month	Appointing authority
2	Beyond one month in exceptional and unavoidable circumstances	Administrative Department

The powers for grant of extraordinary leave to probationer trainee shall be subject to observation of following guidelines:-

1. Prior sanction of extraordinary leave shall be pre-requisite in all such cases.
2. No extraordinary leave be sanctioned for study purpose and for preparing competitive examination.
3. Extraordinary leave shall be granted up to one month by appointing authority on reasonable grounds. Extraordinary leave beyond one month shall be granted in exceptional and unavoidable circumstances, related to medical urgency.
4. In case of extraordinary leave applied for critical illness of self, wife/husband, mother, father and children, extraordinary leave can be sanctioned on the basis of certificate of authorized medical attendant.
5. Those who proceed on extraordinary leave without prior sanction shall be treated as cases of wilful absence and liable to disciplinary action.
6. If anyone remains absent without getting prior sanction for extraordinary leave or in cases where absence is due to higher study / preparing for competitive examination, the period of absence shall be treated as dies non and the same shall not be countable for any purpose.
7. In all cases where extraordinary leave period is exceeding one month, the probation period shall be extended for the entire period of extraordinary leave.

  
31/1/2020

**(Hemant Gera)**  
**Secretary to the Government,**  
**Finance (Budget)**

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN  
FINANCE DEPARTMENT  
(RULES DIVISION)**

**MEMORANDUM**

No. F. 1(2)FD/Rules/2006-I

Jaipur, dated : **F 8 AUG 2019**


**Sub:- Regarding successful completion of period of probation by probationer-trainees and grant of pay in the pay scale / running pay band of the post.**

In partial modification of Finance Department Memorandum of even number dated 11.06.2014, powers are delegated for grant of extraordinary leave to probationer trainee in place of existing provisions contained in para 2 and 3 of aforesaid Memorandum as under:-

S. No	Period of Extraordinary Leave	Authority competent to grant EoL
1	Upto one month	Appointing authority
2	Beyond one month in exceptional and unavoidable circumstances	Administrative Department

The powers for grant of extraordinary leave to probationer trainee shall be subject to observation of following guidelines:-

1. Prior sanction of extraordinary leave shall be pre-requisite in all such cases.
2. Those who proceed on extraordinary leave without prior sanction shall be treated as cases of wilful absence and liable to disciplinary action.
3. In case of extraordinary leave applied for critical illness of self, wife/husband, mother, father and children, extraordinary leave can be sanctioned on the basis of certificate of authorized medical attendant.
4. Extraordinary leave shall be granted in exceptional and unavoidable circumstances, related to medical urgency.
5. No extraordinary leave be sanctioned for study purpose and for preparing competitive examination.
6. If anyone remains absent without getting prior sanction for extraordinary leave or in cases where absence is due to higher study / preparing for competitive examination, the period of absence shall be treated as dies non and the same shall not be countable for any purpose.
7. In all cases where extraordinary leave period is exceeding one month, the probation period shall be extended for the entire period of extraordinary leave.

  
(Manju Rajpal)

Secretary to the Government,  
Finance (Budget)

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN  
FINANCE DEPARTMENT  
(RULES DIVISION)**

**CLARIFICATION**

No. F. 1(2)FD/Rules/2006-I


Jaipur, dated : **25 OCT 2019**

**Sub:- Regarding successful completion of period of probation by probationer-trainees and grant of pay in the pay scale / running pay band of the post.**

Attention is invited FD Memorandum of even number dated 22.05.2009, 11.06.2014, 07.08.2014 and 08.08.2019 under which provisions are contained for grant of extraordinary leave to probationer trainee. Certain clarification / doubts has been raised for implementation of the above Memorandums.

Accordingly, the matter has been considered with reference to the provisions of Rule 4A of Rajasthan Service Rules under which it has been mentioned that an Officer's claim to leave shall be regulated by the rules in force at the time leave is applied for and granted. Hence, it is clarified that:-

1. In all pending cases of employees who availed extraordinary leave exceeding three months prior to 11.06.2014 the period of probation is to be extended by the period of extraordinary leave availed beyond three months.
2. The employees who were continuing to avail extraordinary leave exceeding three months even before 11.06.2014 and onwards, in such cases also the period of probation is to be extended by the period of extraordinary leave availed beyond three months.
3. In all cases where extraordinary leave exceeding one month is availed on or after 11.06.2014, till 07.08.2019 the probation period will be extended for the period of extraordinary leave taken beyond one month.
4. The employees who were continuing to avail extraordinary leave exceeding one month even before 08.08.2019 and onwards, in such cases also the period of probation is to be extended by the period of extraordinary leave availed beyond one month.
5. In all cases where extraordinary leave exceeding one month is availed on or after 08.08.2019, the probation period shall be extended for the entire period of extraordinary leave.

  
(Hemant Kumar Gera)  
Secretary to the Government,  
Finance (Budget)

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN  
FINANCE DEPARTMENT  
(RULES DIVISION)**

**MEMORANDUM**

**No. F. 1(2)FD/Rules/2006-I**

**Jaipur, dated : 28 JAN 2020**

**Sub:- Regarding successful completion of period of probation by probationer-trainees and grant of pay in the pay scale / running pay band of the post.**

At the end of Finance Department Memorandum of even number dated 06.01.2020 the following new para be inserted.-

'Finance Department Memorandum of even number dated 08.08.2019 shall stand superseded.

Finance Department Clarification of even number dated 25.10.2019 shall be applicable for implementation of the provisions of Memorandum dated 06.01.2020.'

  
28/01/2020  
(Hemant Kumar Gera)

Secretary to the Government,  
Finance (Budget)

राजस्थान सरकार  
शिक्षा (सुप-2) विभाग

क्रमांक : ए. 17(2)शिक्षा-2/2008

जयपुर, दिनांक : 13.10.17

निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर।

विषय : दिनांक 20.01.2008 से पूर्व राज्य सेवा में कार्यरत कार्मिक की प्रोबेशनरी ट्रेनी के रूप में नियुक्ति पर प्रोबेशन काल में अवकाश के संबंध में मार्ग-दर्शन प्रदान करने बाबत।

संदर्भ : आपदा पत्र क्रमांक-शिक्षा/माध्य/संख्या/सी-5/पीएच  
/अर्चनाधामाई/ दिनांक 13.07.2012


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि दिनांक 20.01.2008 से पूर्व राज्य सेवा में कार्यरत कार्मिक की 'प्रोबेशनरी ट्रेनी' के रूप में नियुक्ति पर प्रोबेशन काल में अवकाश के संबंध में 'वित्त विभाग' द्वारा निम्नानुसार राय/टिप्पणी दी गई है : -

1. 'राजस्थान सेवा नियम, 1951' के नियम-122-ए के प्रावधानों के अनुसार प्रोबेशनर ट्रेनी परीक्षा अवधि में अवकाश अर्जित नहीं करेगा। अतः प्रोबेशनर ट्रेनी, जो पूर्व में राज्य सरकार की नियमित सेवा में थे, वे भी परीक्षा अवधि में अवकाश अर्जित नहीं करेंगे।
2. न्यूनियुक्त प्रोबेशनर ट्रेनी को पूर्व में राज्य सरकार की नियमित सेवा के दौरान अर्जित एवं शेष अवकाश के उपभोग करने की अनुमति दिये जाने का निर्णय सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी द्वारा लिया जावेगा।
3. पूर्व सेवा में अर्जित अवकाश का उपभोग करने की अनुमति यदि नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है, तो ऐसे अवकाश के कारण परीक्षा अवधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उक्त राय/टिप्पणी वित्त (नियम) विभाग की आई.डी. संख्या-221201306 दिनांक 12.10.2012 के द्वारा प्राप्त कर प्रदान की जा रही है।

भवदीय,

  
शासन सचिव-प्रथम

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN  
FINANCE DEPARTMENT  
(RULES DIVISION)**

**NOTIFICATION**


**o. F. 1(6)FD/Rules/2011**

**Jaipur, dated : 15 FEB 2012**

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor hereby notifies following rules further to amend the Rajasthan Service Rules, 1951, namely:-

1. These rules may be called the Rajasthan Service (Amendment) Rules, 2012
2. These rules shall come into force with immediate effect.
3. In the said rules - the existing Rule 103A shall be substituted by the following, namely:-
  - 122A (i) Probationer-trainees shall earn no leave during the period of probation.
  - (ii) Female probationer-trainees shall be granted maternity leave as per rule 103 and 104
  - (iii) Male probationer-trainees shall be granted paternity leave as per rule 103A.

**By Order of the Governor,**


  
**(Akhil Arora)**  
**Secretary to the Government**  
**Finance (Budget)**

Copy forwarded to -

- Principal Secretary to H.E. Governor.
- Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister.
- All Special Assistants / Private Secretaries to Ministers / State Ministers.
- All Additional Chief Secretaries/ Principal Secretaries/Secretaries/Special Secretaries to the Government.
- D.S. to Chief Secretary.
- Accountant General Rajasthan, Jaipur (200 copies).
- All Heads of the Departments.
- Director, Treasuries & Accounts, Rajasthan, Jaipur with 100 spare copies for sending to all Sub-Treasury Officers.
- Director, Pension & Pensioners' Welfare Department, Rajasthan, Jaipur.
- Deputy Director (Statistics), Chief Ministers' Office.
- All Treasury Officers.
- All Sections of the Secretariat.
- Administrative Reforms (Gr.7) with 7 copies.
- Vidhi Rachana Sanghathan, for Hindi translation.
- System Analyst (Joint Director) Finance Department (Computer Cell).

Copy also to the -

- Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur with 20 extra copies for Subordinate Legislative Committees.
- Registrar General, Rajasthan High Court, Jodhpur / Jaipur.
- Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Ajmer.
- Secretary, Lokayukta Sachivalaya, Rajasthan, Jaipur.

  
**(D.K. Mittal)**  
**Officer on Special Duty**

**(RSR - 04 / 2012)**

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-2) विभाग

सं. एफ. 7(1)डीओपी/ए-2/2020

जयपुर, दिनांक : 4.02.2022

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, इसमें संलग्न अनुसूची में यथोल्लिखित विभिन्न सेवा नियमों को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विभिन्न सेवा (संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये 20.01.2006 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. संशोधन.- इसमें संलग्न अनुसूची के स्तंभ संख्यांक 2 में यथोल्लिखित प्रत्येक सेवा नियम के सामने, स्तंभ संख्यांक 3 में यथोल्लिखित "कतिपय मामलों में स्थायीकरण" से संबंधित नियम के विद्यमान उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(1) पूर्ववर्ती नियम में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, सेवा में किसी पद पर, इन नियमों के अधीन सीधी भर्ती द्वारा परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्त हुए किसी व्यक्ति को, परिवीक्षा की दो वर्ष की कालावधि की सफलतापूर्वक समाप्ति पर छह माह के भीतर स्थायी नहीं किया गया हो तो वह अपनी वरिष्ठता के अनुसार स्थायी माने जाने का हकदार होगा/होगी यदि,-

(i) उसने एक ही नियुक्ति प्राधिकारी के अधीन उस पद पर या उच्चतर पद पर कार्य किया हो या इस प्रकार कार्य करता/करती यदि वह प्रतिनियुक्ति या प्रशिक्षण पर नहीं होता/होती;

(ii) वह इन नियमों के अधीन विहित कोटा के अध्यक्षीन रहते हुए, स्थायीकरण से संबंधित नियम के अधीन विहित शर्तें पूरी करता/करती हो; और

(iii) वह किसी अधिष्ठायी रिक्ति के प्रति नियुक्त किया गया/गयी है।”

6/2/22

अनुसूची

क्र.सं.	सेवा नियमों का नाम	नियम का संख्यांक
1	2	3
1.	राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954	34क
2.	राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954	34क
3.	राजस्थान लेखा सेवा नियम, 1954	33क
4.	राजस्थान रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प निरीक्षक सेवा नियम, 1954	28क
5.	राजस्थान अभियंता सेवा (विद्युत एवं यांत्रिक शाखा) नियम, 1954	29क
6.	राजस्थान अभियंता और अनुसंधान अधिकारी सेवा (सिंचाई शाखा) नियम, 1954	29क
7.	राजस्थान अभियंता सेवा (भवन एवं पथ शाखा) नियम, 1954	29क
8.	राजस्थान सहकारी सेवा नियम, 1954	29(क)
9.	राजस्थान मोटर गैराज सेवा नियम, 1958	27क
10.	राजस्थान श्रम एवं कल्याण सेवा नियम, 1958	27क
11.	राजस्थान आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा नियम, 1958	32क
12.	राजस्थान फैक्टरी और बायलर निरीक्षक और फैक्टरी (रसायन) निरीक्षक सेवा नियम, 1958	30क
13.	राजस्थान कारागार सेवा नियम, 1959	28क
14.	राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि सेवा नियम, 1959	30क
15.	राजस्थान राजकीय मुद्रणालय सेवा नियम, 1960	33क
16.	राजस्थान नियोजन कार्यालय सेवा नियम, 1960	28क
17.	राजस्थान खान एवं भू-गर्भ सेवा नियम, 1960	28क
18.	राजस्थान कृषि सेवा नियम, 1960	30क
19.	राजस्थान उद्योग सेवा नियम, 1960	27क
20.	राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय सेवा नियम, 1960	28क
21.	राजस्थान उद्यान कृषि सेवा नियम, 1962	25क
22.	राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962	26(क)

*Handwritten signature*

23.	राजस्थान वन सेवा नियम, 1962	36क
24.	राजस्थान पशुपालन सेवा नियम, 1963	28क
25.	राजस्थान समाज कल्याण सेवा नियम, 1963	29क
26.	राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963	28क
27.	राजस्थान जनसंपर्क सेवा नियम, 1966	30(क)
28.	राजस्थान नगर नियोजन सेवा नियम, 1966	29क
29.	राजस्थान प्राच्यविद्या अनुसंधान संस्थान सेवा नियम, 1967	30क
30.	राजस्थान आबकारी (निवारक अधिकारी) सेवा नियम, 1967	23क
31.	राजस्थान अभियंता सेवा और सहबद्ध पद (जन स्वास्थ्य शाखा) नियम, 1968	30क
32.	राजस्थान भू-जल सेवा नियम, 1969	29क
33.	राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा नियम, 1971	22क
34.	राजस्थान स्थापत्य सेवा लो.नि.वि. (भ.एवं स.) नियम, 1973	30क
35.	राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम, 1973	28क
36.	राजस्थान आबकारी सेवा (सामान्य शाखा) नियम, 1974	19
37.	राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण सेवा नियम, 1975	29
38.	राजस्थान पुरालेख सेवा नियम, 1975	30क
39.	राजस्थान अभियांत्रिकी सेवा (विद्युत निरीक्षणालय शाखा) नियम, 1975	29
40.	राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद सेवा नियम, 1976	28
41.	राजस्थान पर्यटन सेवा नियम, 1976	28
42.	राजस्थान होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा सेवा नियम, 1976	28
43.	राजस्थान अभियोजन सेवा नियम, 1978	14
44.	राजस्थान मूल्यांकन सेवा नियम, 1979	30
45.	राजस्थान पुलिस न्याय संबंधी विज्ञान सेवा नियम, 1979	29
46.	राजस्थान राज्य उपक्रम सेवा नियम, 1979	29
47.	राजस्थान परिवहन सेवा नियम, 1979	29
48.	राजस्थान पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण सेवा	14

*[Handwritten signature]*

	(महाविद्यालय शाखा) नियम, 1980	
49.	राजस्थान जिला गजेटियर्स सेवा नियम, 1980	29
50.	राजस्थान विधिक राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1981	33
51.	राजस्थान विधि रचना राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1981	33
52.	राजस्थान राज्य कृषि विपणन सेवा नियम, 1986	29
53.	राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान सेवा नियम, 1990	14
54.	राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992	36
55.	राजस्थान सचिवालय पुस्तकालयाध्यक्ष राज्य एवं अधीनस्थ नियम, 1997	32
56.	राजस्थान ग्रामीण विकास और पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1998	34
57.	राजस्थान एकीकृत बाल विकास राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 1998	35
58.	राजस्थान देवस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 2000	34
59.	राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 2001	33
60.	राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियम, 2007	33
61.	राजस्थान ग्रामीण आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम, 2008	36
62.	राजस्थान तकनीकी शिक्षा (गैर-अभियांत्रिकी) सेवा नियम, 2010	34
63.	राजस्थान तकनीकी शिक्षा (अभियांत्रिकी) सेवा नियम, 2010	35
64.	राजस्थान पेट्रोलियम राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 2012	36
65.	राजस्थान मत्स्य राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 2012	36
66.	राजस्थान भाषा एवं पुस्तकालय (राज्य और अधीनस्थ) सेवा नियम, 2013	37
67.	राजस्थान नागरिक उड्डयन राज्य सेवा नियम, 2013	37
68.	राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ (विद्यालय शाखा) नियम, 2015	37
69.	राजस्थान आबकारी प्रयोगशाला (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2015	36

*Shy*

70.	राजस्थान महिला अधिकारिता (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2017	38
71.	राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2017	39
72.	राजस्थान जैव-ईंधन (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2019	37
73.	राजस्थान विश्राम भवन (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2019	39
74.	राजस्थान विज्ञान एवं तकनीकी (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021	38
75.	राजस्थान शिक्षा(राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021	38
76.	राजस्थान अधीनस्थ सहकारी सेवा (श्रेणी-1) नियम, 1955	32क
77.	राजस्थान तहसीलदार सेवा नियम, 1956	34क
78.	राजस्थान खान एवं भू-गर्भ अधीनस्थ सेवा नियम, 1960	29क
79.	राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963	32क
80.	राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम, 1963	28क
81.	राजस्थान परिवहन अधीनस्थ सेवा नियम, 1963	29क
82.	राजस्थान उद्यान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम, 1965	29क
83.	राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965	29क
84.	राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम, 1966	31क
85.	राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम, 1966	30क
86.	राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (जन स्वास्थ्य शाखा) नियम, 1967	29क
87.	राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (सिंचाई शाखा) नियम, 1967	29क
88.	राजस्थान पुरालेख अधीनस्थ सेवा नियम, 1968	30क
89.	राजस्थान सांख्यिकी अधीनस्थ सेवा नियम, 1971	29क
90.	राजस्थान राजकीय मुद्रणालय अधीनस्थ सेवा नियम, 1973	29
91.	राजस्थान तकनीकी शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1973	28क
92.	राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी (भवन एवं पथ शाखा) सेवा नियम, 1973	28


*Shy*

93.	राजस्थान भू-जल अधीनस्थ सेवा नियम, 1973	28(क)
94.	राजस्थान नगर नियोजन अधीनस्थ सेवा नियम, 1974	28
95.	राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा नियम, 1974	28
96.	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (सामान्य शाखा) नियम, 1974	29
97.	राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण अधीनस्थ सेवा नियम, 1975	29
98.	राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा (सामान्य शाखा) नियम, 1975	29(क)
99.	राजस्थान जनसंपर्क अधीनस्थ सेवा नियम, 1975	28
100.	राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा नियम, 1975	33(क)
101.	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (निवारक शाखा) नियम, 1976	28
102.	राजस्थान राज्य उपक्रम अधीनस्थ सेवा नियम, 1976	28
103.	राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम, 1977	27(क)
104.	राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम, 1978	28
105.	राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा नियम, 1978	29
106.	राजस्थान मोटर गैराज अधीनस्थ सेवा नियम, 1979	29
107.	राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1979	29
108.	राजस्थान पुलिस न्याय संबंधी विज्ञान अधीनस्थ सेवा नियम, 1980	28
109.	राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2001	41
110.	राजस्थान ग्रामीण आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम, 2008	34
111.	राजस्थान विद्यालय सहायक अधीनस्थ सेवा नियम, 2015	34
112.	राजस्थान मदरसा शिक्षा सहायक अधीनस्थ सेवा नियम, 2013	33
113.	राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014	14
114.	राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015	44
115.	राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (विद्युत निरीक्षणालय शाखा) नियम, 2020	35

*[Handwritten signature]*

116.	राजस्थान होम गार्ड अधीनस्थ सेवा नियम, 2021	44
117.	राजस्थान सचिवालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1970	30क
118.	राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999	39
119.	राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1999	31

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

  
(जय सिंह)

संयुक्त शासन सचिव

10/2022

# कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पं.राज (प्रा.शि.) राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/प्रारं/शि.सं/एफ-4/पत्रा.बीएड.अनु./समस्त मं./2019/ दिनांक:- 19/06/2019

परिपत्र

विषय : परीक्षाकाल में पत्राचार से उच्च अध्ययन / बी.एड. करने की अनुमति बाबत ।

इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक शिविरा/प्रारं/संस्था /एफ-7/1285/09 दिनांक 11.04.2000, शिविरा/प्रारं/संस्था /एफ-6/परीक्षा अनुज्ञा/विविध/06/35 दिनांक 12.05.2008 तथा शिविरा/प्रारं/संस्था /एफ-6/परीक्षा अनुज्ञा/विविध/06/60 दिनांक 18.03.2013 द्वारा सार्वजनिक परीक्षा में भाग लेने व साक्षात्कार /शोध कार्य/उच्च अध्ययन/प्रशिक्षण के सम्बन्ध में अनापत्ति जारी करने के सम्बन्ध में निर्देश तथा सक्षम प्राधिकार जारी किये गये हैं।

इसी के साथ ही नव नियुक्त अध्यापको के संबंध में शासन के पत्रांक प.5(42)प्राशि/2005 जयपुर दिनांक 29.09.2005 के द्वारा यह अंकित किया है कि वित्त विभाग की राय के अनुसार राजस्थान सेवा नियम 96(बी) के तहत अस्थायी राज्य कर्मचारी जिसकी निरन्तर सेवा में 3 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है, को निरन्तरता में 90 से अधिक असाधारण अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। अतः ऐसे नवनियुक्त कर्मचारी को अध्ययन पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

परीक्षाकाल में पत्राचार से उच्च अध्ययन/बी.एड करने की अनुमति बाबत प्रकरणों के संबंध में शासन उप सचिव, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, जयपुर के पत्रांक प.5(25)प्रा.शि./2019 दिनांक 04.06.2019 के क्रम में विभाग द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि ऐसे प्रकरणों में अनुमति निम्नलिखित शर्तों के तहत दी जा सकेगी :-


1. परीक्षाकाल में पत्राचार से उच्च अध्ययन/बी.एड करने की अनुमति उन्ही अध्यापको को दी जा सकेगी जिनके परीक्षा कार्यक्रम/ सम्पर्क कार्यक्रम शिविरा पंचांग में निर्धारित मध्याह्नि अवकाश, शीतकालीन अवकाश और ग्रीष्मकालीन अवकाश के दिनों में ही आयोजित होंगे।
2. परीक्षाकाल में पत्राचार से उच्च अध्ययन/बी.एड करने वाले कर्मिक को विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अध्ययन अवकाश देय नहीं होगा।
3. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि विद्यालय समय के समान ही हो तो स्वीकृति नहीं दी जा सकेगी।
4. प्रत्येक वर्ष हेतु अलग-अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
5. प्रशासनिक कारणवश स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकेगी।
6. यह स्वीकृति पूर्व के परिपत्रों में दिये गये निर्देशों के क्रम में अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा नहीं दी जावेगी अपितु अंकित शर्तों को पूर्ण करने वाले प्रकरण, प्रार्थी से सहमति का शपथ पत्र प्राप्त कर अपनी स्पष्ट अभिशंथा सहित निदेशालय को भिजवाये जाने पर परीक्षण के आधार पर इस कार्यालय द्वारा जारी की जा सकेगी।

  
निदेशक

प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं पंराज  
(प्रारं. शिक्षा) विभाग, राजस्थान,  
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन उपसचिव प्रारंभिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल शिक्षा समस्त।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्राशि समस्त।
4. प्रभारी सूचना सहायक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

  
निदेशक

प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं पंराज  
(प्रारं. शिक्षा) विभाग, राजस्थान,  
बीकानेर

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN  
FINANCE DEPARTMENT  
(RULES DIVISION)**

**MEMORANDUM**

No.F.1(6)FD(Rules)/2021

Jaipur, dated : **23 DEC 2021**

**Subject: - Grant of Maternity Leave to a female Government servant who was not in Government service at the time of birth of child.**

A question has been raised whether a female Government servant who was not in Government service at the time of birth of child shall be entitled or not for Maternity Leave under Rule 103 of Rajasthan Service Rules after joining Government service.

Under Rule 103 of Rajasthan Service Rules, Maternity Leave is admissible to a female Government servant with less than two surviving children upto a period of 180 days from the date of its commencement.

In SBCWP No. 4384/2020 the Hon'ble Court has given Judgment on 07.12.2020 as under:-


*"With a view to harmonize the provisions, upon combined reading of Rule 103 and 103A of the RSR, it is declared that a female Government servant is entitled to avail maternity leave, if she joins within the period of confinement, i.e. 15 days before to three months after the child birth, regardless of the fact that the child was born prior to joining or before issuance of appointment order"*

In view of the above Judgment the matter has been considered and the Governor is pleased to order that a female Government servant who was not in Government service at the time of birth of child, if applies for grant of Maternity Leave after joining Government service, she may be allowed Maternity Leave under Rule 103 of Rajasthan Service Rules of 180 days reduced by the total of following periods:-

(1) Period before joining Government service by the female Government servant	(a) 15 days period of confinement before child birth. (b) Age of child (days) at the time of joining of Government service
(2) Period of service after joining Government service by the female Government servant (restricted to maximum 15 days)	(c) Period from date of joining Government service to the date of proceeding on Maternity Leave by a female Government servant (days).

In such cases Maternity Leave shall only be admissible, if the female Government servant applies for grant of Maternity Leave within 15 days from the date of joining of Government service.

By order of the Governor,



(Sudhir Kumar Sharma)

Special Secretary to the Government  
Finance (Budget)

Copy forwarded to -

1. Secretary to Hon'ble Governor.
2. Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister.
3. All Special Assistants / Private Secretaries to Ministers / State Ministers.
4. All Additional Chief Secretaries/ Principal Secretaries/Secretaries/Special Secretaries to the Government.
5. Sr. D.S. to Chief Secretary
6. Accountant General Rajasthan, Jaipur.
7. All Heads of the Departments.
8. Director, Treasuries & Accounts, Rajasthan, Jaipur
9. Director, Pension and Pension Welfare Department, Rajasthan, Jaipur
10. Deputy Director (Statistics), Chief Ministers Office.
11. All Treasury Officers.
12. All Sections of the Secretariat.
13. Administrative Reforms (Gr.7) with 7 copies.
14. Vidhi Rachana Sanghthan, for Hindi translation.
15. Technical Director, Finance Department(Computer Cell)
16. Guard File

Copy also to the -

1. Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur
2. Registrar General, Rajasthan High Court, Jodhpur / Jaipur.
3. Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Ajmer.
4. Secretary, Lokayukta Sachivalaya, Rajasthan, Jaipur.

  
28/12/21

(Suresh Kumar Verma)

Joint Secretary to the Government

(RSR 54/2021)

# नियुक्ति से पहले संतान पर भी मिलेगा मातृत्व अवकाश

महानगर संवाददाता

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षक पद पर प्रसव से पूर्व नियुक्ति का हवाला देकर शिक्षिका को मातृत्व अवकाश का लाभ नहीं देने पर प्रमुख शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को मातृत्व अवकाश देने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश तनुजा वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि याचिकाकर्ता ने 24 अगस्त 2018 को संतान को जन्म दिया था। वहीं उसने 1 सितम्बर को शिक्षक पद ग्रहण किया था। याचिकाकर्ता ने सेवा नियमों के तहत मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन किया, लेकिन विभाग ने सेवा में आने से पहले संतान होने का हवाला देते हुए मातृत्व अवकाश देने से इनकार कर दिया। याचिका में कहा गया की सेवा नियमों के तहत इस तरह मातृत्व अवकाश से वंचित नहीं किया जा सकता। संतान यदि सेवा में आने से पहले भी हुई है तो भी महिला कर्मचारी को मातृत्व अवकाश से वंचित नहीं किया जा सकता। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को मातृत्व अवकाश का लाभ देते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है।

# नियुक्ति से पहले संतान हान पर भी दिया जाए मातृत्व अवकाश

जयपुर | हाईकोर्ट ने एक मामले में शिक्षिका की नियुक्ति तारीख से पहले संतान का जन्म होने पर शिक्षा विभाग द्वारा उसे मातृत्व अवकाश मंजूर नहीं करने को गलत माना है। अदालत ने प्रार्थिया शिक्षिका को आरएसआर



रूल 103 के तहत मातृत्व अवकाश का अधिकारी मानते हुए शिक्षा विभाग को कहा है कि वह उसे मातृत्व अवकाश स्वीकृत करे।

वहीं अदालत ने मामले में प्रमुख शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह अंतरिम आदेश तनुजा वर्मा की याचिका पर दिया। अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि प्रार्थिया ने 24 अगस्त 2018 को संतान को जन्म दिया था। उसके बाद उसने 1 सितम्बर को शिक्षिका का पद ज्वाइन किया। उसने सेवा नियमों के तहत मातृत्व अवकाश के लिए शिक्षा विभाग में आवेदन किया, लेकिन विभाग ने सेवा में आने से पहले संतान होने का हवाला देकर उसे मातृत्व अवकाश देने से मना कर दिया। संतान यदि सेवा में आने से पहले भी हुई है तो भी मातृत्व अवकाश से मना नहीं कर सकते। अदालत ने शिक्षा विभाग को प्रार्थिया को मातृत्व अवकाश स्वीकृत करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं करना महिला का अधिकार हनन करना है। इसलिए ऐसे मामलों में कोताही नहीं बरती जाए।

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN  
FINANCE DEPARTMENT  
(RULES DIVISION)**

**MEMORANDUM**

No. F. 1(2)FD/Rules/2006-I

Jaipur, dated : **22 FEB 2021**

**Sub:- Regarding successful completion of period of probation by probationer-trainees and grant of pay in the pay scale / Running Pay Band / Pay Level of the post.**

Attention is invited towards Finance Department Memorandum of even number dated 06.01.2020 and 28.01.2020 under which powers are delegated for grant of extra ordinary leave to probationer trainee and guidelines have been issued in this regard. According to these guidelines no extraordinary leave is admissible for study and preparing for competitive examination purpose to a probationer-trainee. In case probationer trainee's absence is for the purpose of higher study / preparing for competitive examination, the period of absence is treated as dies-non and the same is not countable for any purpose i.e. the probationer-trainee is required to complete the period of probation afresh.

Above provision has caused hardship to the probationer-trainee who was continuing some course of higher study or was preparing for nearby competitive examination at the time of joining of service as probationer-trainee.

Accordingly, the matter has been considered sympathetically and in partial modification of the aforesaid Memorandums it has been decided that the probationer-trainee who was / is continuing any course of study or preparing for nearby competitive examination before joining of service as probationer-trainee and applied for grant of extra ordinary leave before proceeding on leave may be allowed extraordinary leave for the period of continuing any course of study or preparing for nearby competitive examination. The probationer-trainee period shall stand extended by the period of extraordinary leave sanctioned for the purpose of completing continuing course of study or for nearby competitive examination.

Those who proceeded / proceeds on extraordinary leave without prior sanction shall be treated as cases of wilful absence and liable to disciplinary action.

Pending cases of extraordinary leave pertaining to completing continuing any course of study or preparing for nearby competitive examination before joining service to Probationer Trainee prior<sup>ENG</sup> to issue of this memorandum may also be decided by the Appointing Authority and Administrative Department in terms of this order.



(Dr. Prithvi)

Secretary to the Government,  
Finance (Budget)

Copy forwarded to -

1. Secretary to H.E. Governor.
2. Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister.
3. All Special Assistants / Private Secretaries to Ministers / State Ministers.
4. All Additional Chief Secretaries/ Principal Secretaries/Secretaries/Special Secretaries to the Government.
5. D.S. to Chief Secretary.
6. Accountant General Rajasthan, Jaipur (200 copies).
7. All Heads of the Departments.
8. Director, Treasuries & Accounts, Rajasthan, Jaipur with 100 spare copies for sending to all Sub-Treasury Officers.
9. Director, Pension & Pensioners' Welfare Department, Rajasthan, Jaipur.
10. Deputy Director (Statistics), Chief Ministers' Office.
11. All Treasury Officers.
12. All Sections of the Secretariat.
13. Administrative Reforms (Gr.7) with 7 copies.
14. Vidhi Rachana Sanghathan, for Hindi translation.
15. Technical Director, Finance Department (Computer Cell).

Copy also to the -

1. Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur with 20 extra copies for Subordinate Legislative Committees.
2. Registrar General, Rajasthan High Court, Jodhpur / Jaipur.
3. Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Ajmer.
4. Secretary, Lokayukta Sachivalaya, Rajasthan, Jaipur.

  
22/2/21

**(Suresh Kumar Verma)**  
**Joint Secretary (I) to Govt.**

(RSR 07/2021)

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक पं. 8(3)कार्मिक/क-2/73 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 24/03/2022

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर) सहित।

परिपत्र

विषय:—सीधी भर्ती से नवनियुक्त कार्मिकों के कार्यग्रहण अवधि में अभिवृद्धि किये जाने के संबंध में।

कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 18.10.1997 द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से नवनियुक्त कार्मिकों की कार्यग्रहण अवधि को मूल नियुक्ति आदेश की दिनांक से 06 माह तक बढ़ाये जाने हेतु नियुक्ति प्राधिकारियों को प्राधिकृत किया गया था एवं किसी भी स्थिति में कार्यग्रहण अवधि को 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

समय-समय पर विभिन्न प्रशासनिक विभागों से भिन्न-भिन्न कारणों से 06 माह की अवधि में शिथिलन हेतु प्रकरण कार्मिक विभाग को प्राप्त होते रहते हैं, जो निम्नानुसार है :-

1. नियुक्ति आदेश जारी होने के समय अभ्यर्थी के किसी अध्ययन पाठ्यक्रम में अध्ययनरत होने के कारण कार्यग्रहण अवधि में विस्तार हेतु 6 माह की अवधि में शिथिलन बाबत।
2. नियुक्ति आदेश जारी होने के समय यदि अभ्यर्थी राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर पदस्थापित है, एवं अभ्यर्थी को पूर्व पदस्थापित विभाग द्वारा 06 माह की अवधि में कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो उक्त स्थिति में 6 माह की अवधि में शिथिलन बाबत।

कार्यग्रहण अवधि में अभिवृद्धि के सम्बन्ध में प्राप्त प्रकरणों का परीक्षण किया गया तथा उक्त परिपत्र दिनांक 18.10.1997 के अतिक्रमण में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. नियुक्ति आदेश जारी होने के समय अभ्यर्थी के पद के दायित्वों से सम्बन्धित तकनीकी/उच्चतर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत होने के कारण 06 माह की अवधि में कार्यग्रहण करने में असमर्थ होने तथा कार्यग्रहण अवधि में विस्तार हेतु

आवेदन प्रस्तुत करने पर नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा कार्यग्रहण अवधि को अध्ययन पाठ्यक्रम पूर्ण होने की अवधि अथवा 06 माह, जो भी कम हो, तक की अवधि को और बढ़ाया जा सकेगा। 06 माह की अवधि में भी पाठ्यक्रम पूर्ण न होने पर विभाग द्वारा कार्मिक को कार्यग्रहण करने के पश्चात अध्ययन पूर्ण करने हेतु चाहे जाने पर असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जायेगा।

2. नियुक्ति आदेश जारी होने के समय यदि अभ्यर्थी पहले से राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर नियमित रूप से पदस्थापित/कार्यरत है एवं अभ्यर्थी द्वारा पूर्व पदस्थापित विभाग में कार्यमुक्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो विभाग द्वारा निर्धारित समयावधि में उक्त कार्मिक को कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य होगा। यदि किसी कार्मिक के विरुद्ध कोई अनुशासनिक जाँच कार्यवाही लम्बित हो, तो इस आधार पर कार्यमुक्त करने से न रोका जाये तथा कार्यमुक्त करने के उपरांत कार्मिक द्वारा नवीन पद पर कार्यग्रहण करने के उपरांत अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्ताव उस विभाग को प्रेषित कर दिये जाये। यदि किसी कार्मिक का चयन राज्य सरकार के अतिरिक्त अन्यत्र यथा-भारत सरकार/अन्य राज्य सरकार/स्वायत्तशाषी संस्थान/निजी क्षेत्र आदि में हुआ है, तो लम्बित अनुशासनिक जाँच कार्यवाही को अधिकतम 03 माह में पूर्ण करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाये।

*Hemant*  
23/3/22

(हेमन्त कुमार गेरा)  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
3. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव गण।
4. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

*Jyoti*  
(जय सिंह)

संयुक्त शासन सचिव

17/2022

# कार्यालय पंचायत समिति सरदारशहर (चूरु)

दिनांक - 12/10/17

क्रमांक - 7215-17

श्री राजय पुत्र श्री प्रहलादसिंह  
ग्राम पोस्ट-जरावंतपुरा, तहसील-राजगढ  
जिला-चूरु

विषय:- कार्यग्रहण अवधि में वृद्धि के काम में।  
प्रसंग:- आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 10.10.2017।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा प्रासंगिक प्रार्थना पत्र दिनांक 10.10.2017 का प्रस्तुत कर तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती-2012 अन्तर्गत राप्रावि, भोम हेमसिंह (कोलायत) में अध्यापक पद पर कार्यरत होने के कारण कार्यमुक्त होकर अध्यापक पद पर कार्यग्रहण करने हेतु कार्यग्रहण अवधि में तीन माह की छूट चाही गई है।

समान पद पर कामियों की कार्यग्रहण अवधि के काम में विभागीय आदेशांक 978 दिनांक 02.09.2015 के अनुसार भर्ती 2012 के अन्तर्गत अध्यापक पद पर कार्यरत अभ्यर्थियों के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उसके अनुसार उनको कार्यमुक्त कर नए नियोक्ता के यहां 10 दिवस में कार्यग्रहण करने हेतु इस शर्त के साथ अनुमति दी जा सकती है कि उन्हें अन्य पारलाम यथा पूर्व नियोक्ता के अधीन की सेवाओं के परिप्रेक्ष्य में वरिष्ठता, नियमितिकरण, स्थिरिकरण, वेतनवृद्धि इत्यादि देय नहीं होंगे।

उपरोक्त विभागीय आदेश के अनुसरण में कार्यग्रहण अवधि में दिनांक 23.10.2017 तक की छूट प्रदान की जाकर आपको आदेशित किया जाता है कि दिनांक 23.10.2017 तक कार्यग्रहण करना सुनिश्चित करें। निर्धारित समयावधि में आप द्वारा कार्यग्रहण नहीं किये जाने की स्थिति में नियुक्ति स्वतः निरस्त योग्य होगी।

क्रमांक - 7215-17

प्रति लिपि -

1. श्रीमान मुख्या/अति० मुख्या कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद चूरु
2. उचित मन्त्रालय।

  
विकास अधिकारी  
पंचायत समिति सरदारशहर  
दिनांक:- 12/10/17

  
विकास अधिकारी  
पंचायत समिति सरदारशहर

सेवा में

सेवा में  
10-10-17

BDO सरदारगढ़

दिनांक 10/10/17

मुख्य कार्यालय अधिकारी,

जिला परिषद, श्रीर।

विषय - कार्यभार अर्थात् बताने वाला

माननीय जी

उपर्युक्त विषयान्वित पत्र है कि मेरा पद  
तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी शर्त परीक्षा 2013 प्रथम क्रम में  
उत्तर जिला श्रीर। प्रथम 2013/2017/5824-37 दिनांक 25.9.17  
हुआ है। पदावधि अर्थात् सरदारगढ़ के उपाक 6475-6516  
में पदस्थापना आदेश क्र. 10 में मंत्रि क्र- 652 में राजेश्वर  
वीजरागर में हुआ है। मैं 2012 शर्तों में कोलापूर (डी.एन.ए.)  
में कार्यरत हूँ व विद्यालय में पढ़ा अध्यापक हूँ, जिसमें  
वही उही पद में कार्यभार लेबर ज्वान करवां भला  
श्रीमान जी में निवेदन है कि मेरा नियुक्ती कार्यग्रहण  
अर्थात् में उपाक का समझ दिया जाये। मैं आपका  
आभारी रहूँगा।

राधावल्लभ

दिनांक  
10/10/17

संलग्न

हरदीप

○ नियुक्ति आदेश क्र. 10 सरदारगढ़

अधीन

सजय कुम्हार जी

हरदीप

पटना सिटी

Roll - 21113400

मंत्रि क्र- 652

आवृत्त प.स. (सरदारगढ़)

## डीडीओ द्वारा SIPF NEW पोर्टल पर नवनियुक्त कर्मचारी का डेटा सबमिट करते ही एम्प्लॉई आई डी हेतु आवेदन करने का तरीका

\*\_SIPF(NEW) पोर्टल की जानकारी\_\*

राज्य बीमा एवम प्रावधान निधी विभाग द्वारा फिलहाल ही पूर्व के sipf पोर्टल को अपडेट कर न्यू वर्जन SIPF (NEW) के नाम पर चालू किया है जिसमे समस्त कार्मिको के डेटा SIPF (NEW) पर प्रदर्शित होने लग गए । जिसमे समस्त कार्य ऑनलाइन हो गए। इस पोर्टल पर आप अपना Ga55 एवम Si beg & GPF beg एवम Nps अन्य आवश्यक जानकारी प्रति सेकंड में देख सकते है व डाऊनलोड भी किये जा सकते है साथी लोन प्रकिया भी ऑनलाइन करने से समस्त कार्मिको के लिए हितकारी रहा है ।

SIPF(NEW) एम्प्लॉई आई डी का प्रोसेस

◆ सर्वप्रथम आप google पर जाएंगे, google पर सर्च बार में RAJASTHAN SINGLE SING ON या SSO लिख कर सर्च बटन पर क्लिक करें ।

◆ जैसे ही साइट ओपन होती है वहाँ आपको आपके आहरण एवम वितरण अधिकारी (प्रधानाचार्य) की SSO आई डी & पासवर्ड लिखने के उपरांत नीचे की तरफ कैप्चा टाइप करते ही सबमिट करना है ।

◆ साइट log in होने के उपरांत जैसा कि पहले आप SIPF पर क्लिक करते थे अब आपको उस पर क्लिक नहीं कर के SIPF(NEW) पर क्लिक करना है जिसमे थोड़ी देर में वह LODING जैसा लिखा आएगा । उसके उपरांत DDO की सारी जानकारी प्रदर्शित होगी। जैसे ही सम्पूर्ण रूप से डेटा फेच हो जाये उसके उपरांत आपको SWITCH ROLE में DDO ROLE करना है । जैसे ही आप ddo रोल पर क्लिक करते है आपके सामने ddo Dashboard प्रदर्शित होगा। जिसमे निम्न ऑप्शन होंगे ।

1. EMPLOYEE (👍) 2. GPF(👍) 3. SI (👍)

■ आपको एम्प्लॉई पर क्लिक करना है जैसे ही आप एम्प्लॉई पर क्लिक करोगे उसमे भी निम्न ऑप्शन दिखाई देंगे ।

1.CREATE (👍) 2. EMPLOYEE DETAIL(👍) 3. EMPLOYEE TRANSFER (👍) 4. PROFILE (👍) 5. Update Nomination (👍)

इनमे आपको एम्प्लॉई आई डी बनाने के लिए CREATE पर क्लिक करना है उसके उपरांत- Create Employee Profile में अनेक ऑप्शन आएंगे जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

EMPLOYEE-

1. BASIC DETAILS
2. CONTACT DETAILS
3. SERVICE DEATILS
4. SCHEME DETAILS

● इन सभी ऑप्शन में 10 से 11 कॉलम की पूर्ति करने के उपरांत जो ऊपर स्कीम के ऑप्शन का विशेष ध्यान देना है यदि आप उस ऑप्शन को फीड नहीं करते है तो सारे डेटा अपडेट नहीं होगा और आपकी एम्प्लॉई आईडी प्राप्त नहीं होगी ।

◆ अतः आप स्कीम के ऑप्शन में NPS सेलेक्ट(कर्मचारी के अनुसार) करे और नंबर 0

और दिनांक जोड़ने डेट लिख के सबमिट करते ही आपको आपकी एम्प्लॉई आईडी तुरंत प्राप्त हो जाएगी।

नॉट- यदि आपका SIPF(NEW) DDO ROLE अपडेट नहीं है तो आपको लेटर PAD पर आपके DDO का विस्तृत विवरण -

1. नाम कर्मचारी
2. एम्प्लॉई आई डी
3. DDO CODE
4. EMAIL आई डी
5. मोबाइल नंबर
6. कार्यग्रहण आदेश।

इस प्रकार मेल कर के भी रोल ऐड करा सकते है)

• DDO ROLE पर क्लिक करने पर आपके विद्यालय की राज्य बीमा एवम gpf तथा nps , कार्मिको के डेटा में संसोधन व एम्प्लॉई आईडी बनाने व अन्य समस्त कार्य इस रोल में किये जाते है।

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## :: कार्यालय आदेश ::

राज्य सरकार के ज्ञापन एफ-1(2) एफडी (रुत्स) 06 पार्ट-1 जयपुर दिनांक 11 जून 2014, 07.08.2014, वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम दिनांक 08.08.2019 एवं दिनांक 25.10.2019 तथा राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति क्रमांक: प. 7(19) शिक्षा-2/2018 जयपुर, दिनांक: 26.10.2020 की अनुपालना में निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में कार्यरत परीक्षाकाल की अवधि में उनके नाम के सामने अंकित अवधि में उपभोग किए गए अवकाशों का असाधारण अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम व पदस्थापन स्थान	विषय	लिय गये अवकाश की अवधि	दिनो की संख्या	अवकाश का प्रकार
1	श्रीमती विनिता जांगिट राउमावि धनोता, शाहपुरा, जयपुर	रसायन विज्ञान	19.08.16 से 29.08.2016 तक 19.09.2016 से 07.10.16 तक 13.10.2016 से 18.10.16 तक 07.10.2016 से 18.11.16 तक 22.11.2016 से 07.11.2.16 तक	(11) (19) (06) (12) (16)	कुल 64 दिनो का 'असाधारण अवकाश'

उक्त कार्मिक के 90 दिवस के असाधारण अवकाश कार्यालय हाजा आदेश दिनांक: 24.01.2018 एवं 18.03.2019(संशोधन), द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। कार्मिक के परिवीक्षाकाल में सम्पूर्ण "असाधारण अवकाश" अवधि 154 दिवस है।

उक्त कार्मिक के सम्पूर्ण "असाधारण अवकाश" अवधि 154 दिवस के घेतन का भुगतान कर दिया गया है तो संबंधित संस्था प्रधान उसकी वसुली कर राजकोष में जमा करवायें एवं उक्त अवकाश अवधि के लेखे का कार्मिक की सेवा-पुरस्कार में इन्द्राज करें। वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र दिनांक: 11.06.2014 एवं संशोधित परिपत्र दिनांक: 07.08.2014 व वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम दिनांक 08.08.2019 एवं दिनांक 25.10.2019 के प्रावधानानुसार कार्मिक के परिवीक्षाकाल में "124 दिवस" की वृद्धि होगी तथा बढी हुई अवधि में और "असाधारण अवकाश" लेने पर परिवीक्षाकाल में तदनुसार उतनी वृद्धि होगी।

(सौरभ स्वामी )  
अईएसए

निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर  
दिनांक 10/11/2020

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-4/रजीगु/अवकाश(2)/बो-2/2019-22

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा।
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक।
3. संबंधित प्रधानाचार्य राउमावि/रावाउमावि.....।
4. संबंधित कार्मिक.....।
5. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा।
6. रक्षित पत्रायली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर